वार्षिक रिपोर्ट
2017-18

विनियामक फोरम (एफओआर)

वार्षिक रिपोर्ट
2017-18

विनियामक फोरम

विनियामक फोरम (एफओआर)
सचिवालयः मार्फत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ),
तृतीय एवं चतुर्थ तल, चंद्रलोक बिल्डिंग,
36 जनपथ, नई दिल्ली – 110 001
दूरभाषः +91–11–23753920
फैक्सः +91–11–23752958

प्रस्तावना

वर्ष 2017–2018 के दौरान, विनियामक फोरम (एफओआर) ने विद्युत क्षेत्र में महत्वपूर्ण विषयों पर विचार–विमर्श करने और विवेचनीय विषयों पर आगे बढ़ने के लिए सहमति तैयार करते हुए अपने उद्देश्यों को पूरा करना जारी रखा। फोरम ने विद्युत क्षेत्र में सुधारों तथा नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए पर्याप्त उपाए किए।

फोरम ने प्रभावी और सहज एकीकरण के लिए अपेक्षित विनियामक तैयारियों और नीतिगत विधियों के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के एकीकरण के तकनीकी–आर्थिक विश्लेषण करने के उद्देश्य से ''ग्रिड पर इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रभाव'' पर एक अध्ययन आरंभ किया। अध्ययन के भाग के रूप में, फीडरों पर ईवी के प्रभाव को समझने के लिए सिमुलेशन अभ्यास का अध्ययन किया गया है। अधिनियम और नीतियों के अधीन उपलब्ध उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, तीन कारोबार मॉडलों का सुझाव दिया गया, अर्थात् यूटीलिटी के स्वामित्व वाली संस्थापनाएं, फ्रेंचाइजी द्वारा संस्थापनाएं (सार्वजनिक–निजी साझेदारी सहित) और बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों द्वारा एकत्रीकरण।

फोरम ने पिछले पांच वर्शों के दौरान किए गए कार्यक्रमों को सम्मिलित करते हुए और यह विश्लेषण करने के लिए कि क्या ये गतिविधियाँ फोरम के समग्र कृत्यों और उद्देश्यों के अनुरूप हैं, ''विनियामक फोरम अध्ययनों और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों (सीबीपी) का प्रभाव आकलन'' पर एक अध्ययन शुरू किया। अध्ययन ने बृहत्तर समन्वय और सभी हिताधिकारियों से जवाबदेही सुनिश्चित करने, अध्ययनों और सीबीपी में कवर किए जाने वाले प्रमुख विषयों का अनुमान लगाने के लिए हित सर्वेक्षण, अध्ययन और सीबीपी जीवनचक्र के प्रत्येक चरण पर प्रभावपूर्ण अध्ययनों और सीबीपी के लिए पूरा किए जाने वाले आवश्यक प्रमुख मानदंडों की जांच–सूची, संगत मुद्दों पर नियमित चर्चा के लिए ऑनलाइन फोरम, विनियामक फोरम के सचिवालय और एसईआरसी के बीच समन्वय के लिए संचार टेम्पलेट आदि के लिए विशिष्ट अध्ययनों / सीबीपी के लिए एक कार्यकारी समूह की नियुक्ति की सिफारिश की।

फोरम ने राज्य स्तर पर नवीकरण पर फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन पर विनियामक फोरम स्थायी तकनीकी समिति रिपोर्ट की प्रथम रिपोर्ट के खंड I और II का विमोचन किया। समिति की प्रमुख पहलों में, अन्य बातों के साथ–साथ, विद्युत में संव्यवहारों का अनुसूचीकरण, लेखांकन, मीटरिंग और व्यवस्थापन (एसएएमएएसटी) पर रिपोर्ट, राज्य स्तर पर आरई स्रोतों के लिए पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण और विचलन व्यवस्थापन के लिए मॉडल फ्रेमवर्क, मॉडल विचलन व्यवस्थापन (डीएसएम) विनियम, जेनेरिक आरपीओ वेबटूल का विकास और मॉडल आरपीओ विनियम, उत्पादन स्रोतों के इष्टतम उपयोग के लिए प्रादेशिक सहयोग से संबंधित मामलों की जांच, स्मार्ट मीटरों के रोल–आउट पर रिपोर्ट, अंतःराज्यिक हाइड्रो उत्पादनकारी स्टेशनों के लिए मॉडल विनियम, 5–मिनट टाईम–ब्लॉक के परिचय पर अध्ययन आदि सम्मिलित हैं।

फोरम द्वारा की गई पहलों की पृष्ठभूमि में, प्राथमिक रूप से उतरदायित्व अब कार्यान्वयन के लिए विभिन्न अध्ययनों की सिफारिशों को अपनाने के लिए राज्य विद्युत विनियामक आयोगों / संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों का है। फोरम इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के विचारविमर्श करने में लगा है ताकि उन विवेचनीय मुददों पर कार्यान्वयन योग्य समाधानों का पता लगाया जा सके जिससे विद्युत क्षेत्र में चहुमुखी विकास में बाधा पहुंच रही है। हम फोरम के आदेश को पूरा करने में सभी स्टेक होल्डरों से सतत सहायता की अपेक्षा करते हैं।

अध्यक्ष, विनियामक फोरम

विषय सूची

1. विनियामक फोरम 7

2. फोरम की गतिविधियां 9

2.1 विनियामक फोरम की बैठकें 9

दिनांक 21 अप्रैल, 2017 को गुवाहाटी, असम में आयोजित फोरम की 59वीं बैठक 9

दिनांक 23 जून, 2017 को नई दिल्ली में आयोजित फोरम की 60वीं बैठक 10

दिनांक 22 सितंबर, 2017 को चेन्नई में आयोजित फोरम की 61वीं बैठक 11

दिनांक 15 दिसंबर, 2017 को नई दिल्ली में आयोजित विनियामक फोरम की 62वीं बैठक 12

2.2 पूरे किए गए अध्ययन 13

ग्रिड पर इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रभाव 13

विनियामक फोरम अध्ययनों और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का प्रभाव आकलन 13

2.3 क्षमता निर्माण कार्यक्रम 14

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गुरुग्राम में 17 नवंबर, 2017 से 14

नवंबर, 2017 तक उत्तर पूर्व क्षेत्र के विनियामकों और विनियामक स्टाफ के लिए तीन दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम 14

आईआईटी कानपुर आउटरीच सेंटर, नोएडा में 9 से 11 दिसंबर, 2017 तक और तदुपरांत सिंगापुर में 13 से 15 दिसंबर, 2017 तक 11वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम 14

राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद में 22 से 23 मार्च, 2018 तक सीजीआरएफ और लोकपाल के अधिकारियों के लिए ''उपभोक्ता हित की सुरक्षा'' पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 15

3. वर्ष 2017–18 के दौरान विनियामक फोरम के सदस्य विनियामक निकायों की उपलब्धियां (सीईआरसी / एसईआरसी / जेईआरसी) 16

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग 16

असम विद्युत विनियामक आयोग 17

आंध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग 18

अरुणाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग 18

बिहार विद्युत विनियामक आयोग 18

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग 18

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग 18

गुजरात विद्युत विनियामक आयोग 18

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग 18

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग 19

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा और संघ राज्य प्रदेश) 19

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (मणिपुर और मिजोरम) 19

झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग 19

कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग 20

केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग 20

महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग 20
मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग 21
मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग 21
नागालैंड विद्युत विनियामक आयोग 21
ओडिशा विद्युत विनियामक आयोग 21
पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग 21
राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग 22
सिक्किम राज्य विद्युत विनियामक आयोग 22
त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग 22
तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग 22
तेलंगाना राज्य विद्युत विनियामक आयोग 23
उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग 23
उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग 23
पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग 23

4. राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्थिति 24

5. केविविआ/एसईआरसी/जेईआरसी के अध्यक्ष की सूची 25

6. वार्षिक लेखापरीक्षित लेखा 27

अनुबंध – I 45
केविविआ के टैरिफ अनुसूचियां उत्पादन टैरिफ 45
अनुबंध – II 53
राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के आदेश जारी करने की समयबद्धता 53
अनुबंध – III 58
सीजीआरएफ और लोकपाल की कार्यप्रणाली 58

1 विनियामक फोरम

विद्युत क्षेत्र के लिए एक स्वतंत्र विनियामक आयोग की परिकल्पना वर्ष 1990 के दशक के आरंभ में उस समय की गई थी जब 1994 में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विद्युत संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद समिति ने 'सार्वजनिक और निजी प्रयोज्यताओं की टैरिफ नीतियों को विनियमित करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर स्वतंत्र व्यवसायिक टैरिफ बोर्डो का गठन' करने की सिफारिश की थी। समिति ने यह भी दोहराया था कि 'टैरिफ बोर्डो से प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक राज्य के लिए समुचित विद्युत टैरिफों को तैयार करने के मामले में उच्च स्तर की व्यवसायिकता आ सकेगी।'

विनियामक आयोग के गठन की आवश्यकता को 1996 में आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में पुनः दोहराया गया। सम्मेलन में अन्य बातों के साथ साथ विद्युत के लिए सामान्य न्यूनत्तम राष्ट्रीय कार्रवाई योजना की बात को व्यक्त करते हुए यह सहमति हुई कि राज्य विद्युत बोर्डों में सुधार और पुनर्संरचना करना आवश्यक है तथा इन्हें निश्चित सीमा के अंदर पूरा किया जाना चाहिए और इस दिशा में एक उपाय के रूप में विनियामक आयोग को बनाने की बात को समझा गया। इस प्रकार केन्द्र तथा राज्यों में विद्युत विनियामक आयोगों (विविआ) को बनाने के लिए विद्युत विनियामक आयोग (ईआरसी) अधिनियम, 1998 (संक्षेप में, 1998 अधिनियम) अधिनियमित किया गया।

1998 का अधिनियम, टैरिफ विनियमन से सरकार को दूर रखने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। 1998 के अधिनियम में विद्युत टैरिफ को तर्कसंगत बनाने, टैरिफ सब्सिडी इत्यादि से संबंधित पारदर्शिता नीतियों के सुव्यवस्थितीकरण के लिए केन्द्र तथा राज्यों में विद्युत विनियामक आयोगों के लिए उपबंध किया गया। अब 1998 के अधिनियम को विद्युत अधिनियम 2003 (संक्षेप में, 2003 का अधिनियम) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। 2003 अधिनियम की शुरुआत से विनियामक आयोगों के कार्यकलाप विद्युत बाजार के क्षेत्र के विकास की भूमिका के साथ साथ इसे सरकार को परामर्श कार्य भी निर्दिष्ट किए गए हैं। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग तथा अधिकांश राज्य विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम 1998 के अंतर्गत गठित किए गए थे। तथापि, मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग, जेईआरसी (मणिपुर एवं मिजोरम) तथा जेईआरसी (गोवा एवं संघ शासित प्रदेश) जैसे कुछ एसईआरसी/जेईआरसी 2003 के अधिनियम के बाद गठित किए गए थे।

इस फोरम को 2003 के अधिनियम की धारा 166(2) के अंतर्गत उपबंध के अनुसरण में 16 फरवरी 2005 की विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के माध्यम से गठित किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य सीईआरसी, एसईआरसी और जेईआरसी द्वारा तैयार किए गए विद्युत क्षेत्र में विनियमनों में एकरूपता प्राथमिक उद्देश्य था।

केन्द्रीय सरकार ने विनियामक फोरम के लिए निम्नलिखित नियम भी बनाए है:–

❖ फोरम का गठन

फोरम में केन्द्रीय आयोग के अध्यक्ष एवं राज्य आयोगों के अध्यक्ष शामिल होंगे। केन्द्रीय आयोग के अध्यक्ष विनियामक फोरम के अध्यक्ष होंगे। केन्द्रीय आयोग के सचिव फोरम के पदेन सचिव होंगे। फोरम की सचिवीय सहायता केन्द्रीय आयोग द्वारा प्रदान की जाएगी। फोरम का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित होगा।

❖ फोरम के कार्य

फोरम निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगा अर्थात :–

- केन्द्रीय आयोग तथा राज्य आयोगों के टैरिफ आदेशों तथा अन्य आदेशों का विश्लेषण एवं उक्त आदेशों से उत्पन्न आकंडों का संकलन करना विशेष रूप से प्रयोज्यताओं की कार्य कुशलता को रेखांकित करना;
- विद्युत क्षेत्र में विनियमन में एक रूपता;
- अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित अनुज्ञप्तिधारियों के कार्यनिष्पादन के मानकों को निर्धारित करना;
- सामान्य हित के और सामान्य दृष्टिकोण के विभिन्न मुददों के संबंध में फोरम के सदस्यों को सूचना शेयर करना;

- ऊर्जा क्षेत्र विनियमन से संबंधित मुददों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से या इन हाउस अनुसंधान कार्य से पूरा करना;
- उपभोक्ताओं के हित की सुरक्षा के लिए उपाय विकसित करना और ऊर्जा क्षेत्र में कार्यकुशलता, मितव्ययिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना; तथा
- इस प्रकार के अन्य कार्य जिसे केन्द्रीय सरकार समय समय से निर्दिष्ट कर सकती है।
- फोरम का वित्त
- केन्द्रीय सरकार फोरम की गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए राज्य आयोगों से आवश्यक वित्तीय अंशदान ले सकती है। केन्द्रीय आयोग फोरम की गतिविधियों के लिए अलग लेखा रखेगी।
- मिशन विवरण

विनियामक फोरम की अवधारणा स्वतंत्र विनियमों के विकास को पूरा करने तथा भारत में विद्युत क्षेत्र में स्टेक रखने वालों को शक्ति प्रदान करने के मिशन से आरंभ किया गया था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए फोरम का लक्ष्य निम्नानुसार है:–

- विद्युत क्षेत्र में विनियमों की एकरूपता।
- सम्पूर्ण भारत में राष्ट्रीय नीतियों का अनुपालन
- भारत में विद्युत क्षेत्र में विनियामक निश्चितता बनाए रखने के लिए ईआरसी को प्लेटफार्म उपलब्ध करवाना।
- उपभोक्ताओं के हित में व्यापक नीतियों/विनियमों के कार्यान्वयन के माध्यम से निवेश को बढ़ावा देने के लिए पहल करना।

2 फोरम की गतिविधियां

2. फोरम की गतिविधियां

2.1 विनियामक फोरम की बैठकें

फोरम ने वर्ष के दौरान चार बैठकें आयोजित की और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम सहमति बनाई।

दिनांक 21 अप्रैल, 2017 को गुवाहाटी, असम में आयोजित फोरम की 59वीं बैठक

- फोरम को सूचित किया गया था कि विशेष रूप से घरेलू उपभोक्ताओं और छोटी दुकानों / वाणिज्यिक स्थापनाओं के लिए एक नए कनेक्शन के लिए भार आधारित कनेक्शन प्रभार के मुद्दे की आंतरिक जांच करने के लिए और सार्वभौमिक विद्युतीकरण को सुकर बनाने के लिए राज्य विद्युत विनियामक आयोग को सलाह देने के लिए विद्युत मंत्रालय से अनुरोध प्राप्त हुआ था। अनुरोध के प्रत्युत्तर में, नए कनेक्शन के लिए भार आधारित कनेक्शन प्रभारों के मुद्दे का अध्ययन करने और आगे की चर्चा और निर्णय के लिए उसे "विनियामक फोरम" को प्रस्तुत करने के लिए मामले को ''दूरसंचार टॉवर की विशेष श्रेणी के लिए एफओआर कार्यकारी समूह'' को भेजा गया था। फोरम ने कार्यकारी समूह की रिपोर्ट पर विचार–विमर्श किया और निर्णय लिया कि सर्विस लाइन प्रभारों, मीटर और संबंधित प्रभारों और प्रतिभूति जमा (बिलिंग के अधिकतम तीन महीने तक) के अलावा सिस्टम लोडिंग प्रभारों सहित कोई अन्य शुल्क नहीं लगाया जाएगा। यदि उपभोक्ता अपना स्वयं का मीटर खरीदने का विकल्प चुनते हैं, तो कोई मीटर प्रतिभूति जमा नहीं लिया जाएगा। आगे यह संस्तुत किया गया है कि 2 किलोवाट भार और 50 मी. तक के उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त सेवा लाइन प्रदान करने के कारण वित्तीय प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में उपर्युक्त संस्तुति के अनुसार उपभोक्ताओं को अंतिम मील संयोजकता प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं के अधीन वितरण यूटिलिटीज को दिए जा रहे अनुदानों के अधीन कवर करने के लिए विद्युत मंत्रालय को एक संसूचना भेजी जा सकती है।
- फोरम ने मॉडल एसओपी विनियम में विश्वसनीयता सूचकांक (आरआई) के फार्मूले के पुनरीक्षण के लिए बीईआरसी से प्राप्त संदर्भ पर विचार किया और इसके आईईईई 1366 मानकों के अनुरूप होने के सुझाव का समर्थन किया। फोरम ने आईईईई मानकों के अनुरूप विश्वसनीयता सूचकांकों की परिभाषा में आवश्यक संशोधन के लिए मामले को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास ले जाने का फैसला किया।
- फोरम ने सहायक ऊर्जा खपत के लिए तृतीयक वाइंडिंग के माध्यम से ईएचवी एसी सबस्टेशनों पर आहरित ऊर्जा के लिए राज्यों में प्रभारों की एकसमान विधि से संबंधित पीजीसीआईएल द्वारा उठाए गए मुद्दे को नोट किया।
- फोरम ने अंतर–प्रादेशिक कॉरिडोर्स पर अनुज्ञेय विद्युत अंतरण की सीमा के अवधारण और अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) के माध्यम से अल्पकालिक निर्बाध पहुंच (एसटीओए) को सुकर बनाने के उद्देश्य से इसे 9 बाजार सहभागियों के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने की आवश्यकता को नोट किया। फोरम ने इसके आगे संबंधित राज्य भार प्रेषण केन्द्रों द्वारा राज्य पारेषण यूटिलिटीज को प्रचालन प्रतिक्रिया प्रदान करने और राज्य विद्युत समितियों या ग्रिड समन्वय समितियों में इसकी चर्चा के अलावा योजना हॉरिजॉन के लिए एसटीयू द्वारा टीटीसी / एटीसी अभिकलन, प्रचालन हॉरिजॉन के लिए एसटीयू द्वारा टीटीसी / एटीसी अभिकलन की आवश्यकता को रेखांकित किया। फोरम ने निर्णय लिया कि राज्य विद्युत विनियामक आयोग उपयुक्त कार्रवाई के लिए मामले को अपने स्तर पर निपटा सकते हैं।
- फोरम ने पिछले आठ वर्षों की विद्युत की मांग से संबंधित समय श्रृंखला डेटा के विस्तृत सांख्यिकीय विश्लेषण का उल्लेख किया, जिसमें दो राज्यों के मांग पैटर्न के बीच सह–संबंध का विवरण प्रदान किया गया कि कैसे किसी राज्य की मांग उसी समय पैमाने पर अन्य की तुलना में भिन्न होती है। यह सह–संबंध अभ्यास ग्रिड में आरई एकीकरण के प्रभाव को कम करने के लिए राज्यों के समूह के बीच अत्यंत वांछित प्रादेशिक सहयोग के संदर्भ में महत्व मानता है।

- फोरम ने ग्रिड सुरक्षा और उचित मीटरिंग और लेखांकन की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में डिस्कॉम एम्बेडेड नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनकर्ताओं (सौर, पवन, रूफ टॉप सौर) के लिए डाटा संचार प्रणाली के महत्व पर विद्युत मंत्रालय से प्राप्त संदर्भ पर विचार किया। फोरम ने वास्तिवक–समय उत्पादन डाटा की अनुपलब्धता और क्रमशः एनएलडीसी और एसएलडीसी द्वारा रखरखाव किए जाने वाले डाटा रजिस्ट्री (केंद्र और राज्य स्तरों पर) के लिए तत्काल आवश्यकता को नोट किया।
- फोरम ने रूफ टॉप सौर में इंस्टॉलेशन के मुद्दों और विद्युत के एकीकरण और संचार प्रणाली के सशक्तिकरण के लिए डिस्कॉम द्वारा अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता, ताकि रूफ टॉप सौर इंस्टालेशन संभव हो सके, के संबंध में अध्यक्ष, डब्ल्यूईबीसी द्वारा प्रस्तुतिकरण पर विचार किया। फोरम ने इस मामले को आरई के अन्य सहबद्ध मामलों के साथ जांच के लिए नवीकरणीय ऊर्जा पर ''एफओआर'' कार्यकारी समूह को भेजने का निर्णय लिया। फोरम 12 ने यह भी पाया कि थर्मल संयंत्र उत्पादन की फ्लेक्सिंग आरई के एकीकरण से संबंधित प्रमुख मुद्दों में से एक है। अतः फोरम ने अध्यक्ष, केविविआ / एफओआर को थर्मल संयंत्र उत्पादन की फ्लेक्सिंग के मुद्दे की जांच करने और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए फोरम को अपनी सिफारिशें देने के लिए एक कार्यकारी समूह गठित करने के लिए प्राधिकृत किया।

दिनांक 23 जून, 2017 को नई दिल्ली में आयोजित फोरम की 60वीं बैठक

- विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और खदानों के लिए माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री पीयूष गोयल बैठक में शामिल हुए। विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और खदानों के लिए माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने "विद्युत प्रणाली प्रचालन के लिए मौसम पोर्टल", "मेरिट ऑर्डर प्रेषण पोर्टल" को विमोचन किया और ''हाइड्रो संसाधनों के अनुकूलन का प्रचालन विश्लेषण'' पर पोसोको / फोल्ड रिपोर्ट जारी की।
- मंत्री ने विनियामक फोरम द्वारा निभाई जा रही सक्रिय भूमिका की सराहना की। 2005 में अपनी स्थापना के बाद से, फोरम ने अब तक 60 बैठकें की हैं और विद्युत क्षेत्र का सामना करने वाले व्यापक मुद्दों पर विचार–विमर्श किया है और आम सहमति बनाई है। श्री गोयल ने दोहराया कि यद्यपि फोरम एक सिफारशी निकाय है, तथापि सत्य भावना में अपनी सिफारिशें लागू करने के लिए यह विनियामकों पर निर्भर है।
- फोरम ने आरपीओ अनुपालन रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग के लिए वेब टूल के संबंध में परामर्शदाता द्वारा की गई सिफारिशों को नोट किया।
- फोरम ने आरईपीओ लक्ष्य के परिकलन के लिए विद्युत की खपत को परिभाषित करने से संबंधित केईआरसी से प्राप्त संदर्भ पर विचार किया और इस संबंध में विभिन्न एसईआरसी द्वारा अपनाए गए विभिन्न दृष्टिकोणों को नोट किया। फोरम ने इस संबंध में ''राज्य स्तर पर नवीकरणीय पर फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए एफओआर तकनीकी समिति'' की सिफारिशों पर विचार करते हुए अपनी टिप्पणी दी।
- फोरम ने टैरिफ की प्रगति और टैरिफ युक्तिकरण के मामले के साथ–साथ टैरिफ सरलीकरण के मामले पर विचार किया। फोरम ने पाया कि टैरिफ की प्रगति पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है। यद्यपि, ''टैरिफ श्रेणियों के सरलीकरण'' और ''टैरिफ के युक्तिकरण'' दोनों पर विद्युत मंत्रालय से रिपोर्ट प्राप्त होने पर, फोरम उस पर विचार–विमर्श करेगा और उचित कार्रवाई करेगा।
- फोरम ने टैरिफ श्रेणियों के सरलीकरण के लिए अपनाए गए दर्शन और सिद्धांतों को रेखांकित करने वाली बीईआरसी द्वारा की गई प्रस्तुति को नोट किया।
- फोरम को ''मेरिट ऑर्डर प्रेषण और नवीकरणीयों के एकीकरण'' के संबंध में रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी गई।
- फोरम ने विद्युत मंत्रालय द्वारा टाईम ऑफ डे टैरिफ और एक प्रस्तावित रोडमैप पर प्रस्तुति का उल्लेख किया। फोरम ने पाया कि टीओडी के कार्यान्वयन के लिए प्राप्ति योग्य समयसीमा तैयार करने से पहले, इस मामले की विनियामक फोरम तकनीकी समिति द्वारा विस्तार से जांच किए जाने की आवश्यकता है। समिति सीईए से परामर्श कर सकती है, मौजूदा मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ टीओडी के कार्यान्वयन की तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता की जांच करने पर विचार करे और प्राप्ति योग्य समयसीमा के साथ प्रभावी कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए अपनी सिफारिशें दे।
- फोरम को प्रभावी और सहज एकीकरण के लिए विनियामक तैयारियों और अपेक्षित नीतिगत विधियों के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के एकीकरण के तकनीकी–आर्थिक विश्लेषण करने के उद्देश्य से ''ग्रिड पर इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रभाव'' के संबंध में फोरम द्वारा किए गए अध्ययन से अवगत कराया गया। फोरम ने अपनी टिप्पणियों के साथ रिपोर्ट पर विचार–विमर्श किया और अध्ययन रिपोर्ट को मंजूरी दी।
- फोरम को महत्वपूर्ण पहलों और राज्य स्तर पर नवीकरण पर फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए विनियामक फोरम तकनीकी समिति द्वारा प्राप्त की गई प्रगति के बारे में सूचित किया गया।

- फोरम को वित्तीय पुनर्गठन और दक्षता सुधार के माध्यम से राज्यों की विद्युत वितरण कंपनियों के 20 वित्तीय टर्नअराउंड और पुनरुत्थान प्रदान करने के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) योजना के बारे में जानकारी दी गई। फोरम ने विद्युत मंत्रालय द्वारा दिए गए सुझावों को नोट किया।

दिनांक 22 सितंबर, 2017 को चेन्नई में आयोजित फोरम की 61वीं बैठक

- फोरम को राज्य स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण पर विनियामक फोरम तकनीकी समिति द्वारा की गई प्रगति के बारे में अवगत कराया गया। फोरम ने इच्छा जताई कि एनईआरपीसी को भी विचार–विमर्श में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। समिति के विचार–विमर्श से अवगत कराने के लिए सभी पूर्वोत्तर राज्यों के साथ एक अलग बैठक बुलाने का भी निर्णय लिया गया। फोरम ने कहा कि वर्तमान में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भागों को पीएसडीएफ के माध्यम से वित्तपोषण के लिए डीपीआर के अधीन कवर किया गया है। इंटर–फेस मीटर आरई एकीकरण को प्रभावी ढंग से सुकर बनाने वाली पूरी परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण घटक और अभिन्न अंग है। फोरम ने पीएसडीएफ के माध्यम से वित्तपोषण के लिए समस्त (एसएएमएएसटी) की डीपीआर के भाग के रूप में इंटर–फेस मीटर को शामिल करने के प्रस्ताव का समर्थन किया।
- फोरम ने कहा कि अधिशेष विद्युत के व्यवस्थापन की आवधिकता, ऋण अवधि और खरीद की दर एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होती है। यह निर्णय लिया गया कि उभरते बाजार की वास्तविकताओं के परिप्रेक्ष्य में बैंकिंग की अवधारणा की समीक्षा की जानी चाहिए और परिवर्तनीय आरई के पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण और विचलन व्यवस्थापन के फ्रेमवर्क और वास्तविक समय के समीप बाजार उत्पादों के निर्माण को आरंभ किया जाना चाहिए। नवीकरणीय पर विनियामक फोरम कार्यकारी समूह को इस पर विचार करना चाहिए और विनियामक फोरम के विचार के लिए आगे का रास्ता सुझाना चाहिए।
- फोरम ने नेट मीटरिंग पर एमएसईडीसीएल के प्रस्ताव को नोट किया और देखा कि राज्य–विशेष शर्तों को ध्यान में रखते हुए नेट–मीटरिंग / सकल मीटरिंग को अपनाने के संबंध में निर्णय लेने के लिए राज्य विनियामक पूरी तरह से सशक्त हैं। विनियामक फोरम सचिवालय को नेट–मीटरिंग रिपोर्ट के अगले चरण पर काम करना चाहिए और इसके लिए सुझावों को विनियामक फोरम को प्रस्तुत करना चाहिए।
- फोरम ने नेट–मीटरिंग के अधीन एसपीवी संयंत्रों की अधिकतम क्षमता की सीमा के संबंध में पीएसईआरसी से प्राप्त संदर्भ का उल्लेख किया और सिफारिश की कि इस पहलू को भी उपर्युक्त सुझाव के अनुसार अध्ययन का हिस्सा माना जाना चाहिए।
- फोरम ने बाध्य संस्थाओं द्वारा अनुपालन के लिए सौर और गैर–सौर आरपीओ को एकल आरपीओ लक्ष्य में विलय करने के लिए प्रस्तुतिकरण पर विचार किया। यह देखा गया कि परिस्थितियों में एक महत्वपूर्ण बदलाव है जिसके कारण आरपीओ लक्ष्यों के सौर और गैर–सौर आरपीओ में विभाजन आवश्यक हुआ। देश में सौर विद्युत की कीमतों में लगातार गिरावट देखी गई है, जो कि लगभग ग्रिड समता तक पहुंच रही है। बेहतर भंडारण और ऊर्जा भंडारण के विकास आदि के साथ दृढ़ता में भी वृद्धि की संभावना है। फोरम ने महसूस किया कि दो अलग–अलग सौर आरपीओ और गैर–सौर आरपीओ के बजाय, सभी आरई स्रोतों को शामिल करने वाला एकल आरपीओ उभरते बाजार की वास्तविकताओं में उपयुक्त हो सकता है।
- फोरम को अवगत कराया गया था कि विनियामक फोरम तकनीकी समिति ने "अंतरराज्यिक हाइड्रो उत्पादनकारी स्टेशनों के लिए टैरिफ अवधारण और अन्य सहबद्ध मामले" पर मॉडल विनियमों को अंतिम रूप दे दिया है। फोरम ने मॉडल विनियमों के मसौदे पर विचार–विमर्श किया और महसूस किया कि प्रभावी आरई एकीकरण को सुकर बनाने के उद्देश्य से लचीलापन लाने के लिए हाइड्रो उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। फोरम ने सैद्धांतिक रूप से "अंतरराज्यिक हाइड्रो उत्पादनकारी स्टेशनों के लिए टैरिफ अवधारण और अन्य सहबद्ध मामले" पर मॉडल विनियमों का इस सुझाव के साथ समर्थन किया कि विनियमों के प्रारूपण पर टिप्पणी, यदि कोई हो, एक महीने के भीतर विनियामक फोरम के सचिवालय को एसईआरसी द्वारा प्रदान किए जाएं जिसके बाद इसे विनियामक फोरम की वेबसाइट पर डाला जाएगा।
- फोरम ने जीईआरसी के संदर्भ पर विचार करते हुए देखा कि आरई उत्पादन प्रकृति से आंतरायिक, अनिश्चित और परिवर्तनशील है। इन पहलुओं पर विचार करते हुए और ग्रिड में आरई उत्पादन के एकीकरण को सुकर बनाने के लिए, थर्मल उत्पादन को आरई उत्पादन और मांग में भिन्नता की आवश्यकताओं को प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त लचीला रखा जाना चाहिए। फोरम ने भारत के लिए नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों की जांच करने वाली ब्रुकिंग्स इंडिया की रिपोर्ट पर उनके द्वारा की गई प्रस्तुति को नोट किया।
- फोरम ने लोकपाल के आदेश के विरुद्ध एसईआरसी के समक्ष अपील करने के लिए उपभोक्ताओं के लिए प्रावधानों की कमी के संबंध में ओडिशा विद्युत विनियामक आयोग (ओईआरसी) द्वारा दिए गए संदर्भ पर विचार किया। फोरम के समक्ष यह भी लाया गया कि कुछ मामलों में, यद्यपि आयोग यह प्रतीत होता

है कि जीआरएफ / लोकपाल के निर्णय गलत हैं, ऐपटेल और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में एसआरईसी मामले को निपटाने में असमर्थ रहे। इस संबंध में, फोरम ने देखा कि विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन वर्तमान में उपलब्ध उपबंध उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के गठन और लोकपाल की संस्थापना को उपभोक्ता शिकायतों के सरल और त्वरित निपटान के लिए प्लेटफार्म के रूप में कार्य करने के लिए सुकर बनाते हैं। एसईआरसी / जेईआरसी के पास शिकायत के निवारण के लिए कार्यप्रणाली के साथ–साथ संपूर्ण फ्रेमवर्क को निर्दिष्ट करने का अधिदेश है और कई एसईआरसी ने विनियमों को विस्तृत रूपरेखा के साथ सुगम बनाने के लिए अधिसूचित किया है।

- फोरम ने उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अद्यतन स्थिति का उल्लेख किया और स्थिति और टैरिफ और अन्य संबंधित क्षेत्रों में उनके द्वारा किए गए उपायों को अग्रेषित किया। स्थिति उदय (यूडीएवाई) लक्ष्यों, एसीएस–एआरआर गैप, विद्युत खरीद लागत, आरपीओ लक्ष्यों, एटी एंड सी हानि स्तर, विनियामक आस्तियां, आईटी का कार्यान्वयन, ईआरपी प्रणालियां आदि के संबंध में थी।
- फोरम ने देखा कि परियोजना लागतों में पारदर्शिता और दक्षता को प्रोत्साहित करने के लिए, अंतःराज्यिक पारेषण परियोजनाओं के लिए सीमा–रेखा को टैरिफ नीति में दी गई व्यवस्था के अनुसार एसईआरसी द्वारा अवधारित किया जाना चाहिए। इसलिए, फोरम ने सदस्यों से अपने राज्य के सभी प्रासंगिक मापदंडों को ध्यान में रखते हुए, अपने संबंधित राज्य–स्तरीय पारेषण परियोजनाओं के लिए सीमा–रेखा निर्धारित करने का आग्रह किया।
- फोरम ने, यह देखते हुए कि विभिन्न एसईआरसी की एकरूपता की कमी के कारण विभिन्न सिद्धांतों को अपनाया गया था और पुनरीक्षित टैरिफ नीति के उपबंधों का पालन करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। फोरम ने कार्यकारी समूह का गठन करने के लिए अध्यक्ष, सीईआरसी/एफओआर को प्राधिकृत किया, जो मामले की जांच कर सकता है और फोरम के विचार के लिए वितरण आस्तियों के लिए सिद्धांतों/दरों के अवधारण पर उपयुक्त मसौदा दिशानिर्देश निर्मित कर सकता है।
- फोरम ने कहा कि यद्यपि वितरण मानदंडों का निर्धारण एक महत्वपूर्ण पहलू है, विद्युत की गुणवत्ता भी अधिक महत्व रखती है और वितरण मानदंडों का अभिन्न अंग है। एलईडी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बढ़ते उपयोग से उत्पन्न वोल्टेज में हार्मोनिक्स और स्पाइक्स के रूप में सिस्टम में प्रदूषण और शोर के अचानक बढ़ने के कारण विद्युत की गुणवत्ता मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है। अतः फोरम ने फैसला किया कि वितरण मानदंडों के निर्धारण के लिए दिशानिर्देशों से संबंधित मामलों को विद्युत की गुणवत्ता के लिए कार्यकारी समूह की सिफारिशों के साथ जोड़ा जा सकता है।
- फोरम ने भारतीय रेलवे (एक डीम्ड अनुज्ञप्तिधारी) द्वारा अनुज्ञप्तिधारी बाध्यताओं के गैर–अनुपालन के संबंध में विद्युत मंत्रालय / रेल मंत्रालय के पास मामला ले जाने के लिए अध्यक्ष, केविविआ / विनियामक फोरम को प्राधिकृत किया।

दिनांक 15 दिसंबर, 2017 को नई दिल्ली में आयोजित विनियामक फोरम की 62वीं बैठक

- फोरम को सूचित किया गया कि उत्तर पूर्वी राज्यों की विनियामक फोरम टास्क फोर्स की सिफारिशों पर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सहयोग से विनियामक फोरम सचिवालय द्वारा उत्तर पूर्वी राज्यों के एसईआरसी / जेईआरसी के विनियामकों और विनियामक स्टाफ के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। फोरम ने विनियामक फोरम रिजर्व में से 14.56 लाख रुपये के व्यय के लिए अपना कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया जो उक्त क्षमता निर्माण कार्यक्रम के संचालन के लिए किया गया था।
- फोरम ने विकलांग व्यक्तियों द्वारा उपभोक्ता विद्युत बिल में 100% छूट, बोली के बाद लगाए गए विभिन्न शुल्कों / करों / अधिभारों में से गुजरने और पूंजीगत लागत अनुमोदन में देरी के संबंध में विद्युत मंत्रालय से प्राप्त संदर्भों पर चर्चा की। फोरम ने निर्णय लिया कि सदस्य विस्तृत विश्लेषण के साथ अपने संबंधित एसईआरसी में इन मामलों की जांच कर सकते हैं।
- फोरम को "एफओआर अध्ययन और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के प्रभाव आकलन" पर एफओआर अध्ययन के बारे में बताया गया। विस्तृत विचार–विमर्श के बाद, फोरम ने अध्ययन रिपोर्ट का समर्थन किया।
- बैठक में राज्य–स्तर पर नवीकरण पर फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन पर एफओआर स्थायी तकनीकी समिति की रिपोर्ट का विमोचन किया गया।
- फोरम को, निर्बाध पहुंच के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले मामलों की जांच करने के लिए गठित एफओआर के कार्यकारी समूह द्वारा की गई सिफारिशों से अवगत कराया गया। फोरम ने निर्बाध पहुंच पर कार्यकारी समूह की रिपोर्ट का समर्थन किया।
- फोरम को राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के लिए ई–कोर्ट के सामान्य सॉफ्टवेयर से अवगत कराया गया। फोरम ने प्रगति को नोट किया और सुझाव दिया कि अंतराल विश्लेषण करने के लिए उत्तर

पूर्वी क्षेत्र में से एक सहित न्यूनतम पांच एसईआरसी शामिल किए जा सकते हैं और एनआईसी जल्द से जल्द एसईआरसी को पूर्व–अपेक्षितों की सूची के साथ–साथ मानक मास्टर्स भी साझा कर सकता है। फोरम ने, जेनेरिक सॉफ्टवेयर के विकास के लिए 30 लाख रुपये के खर्च को मंजूर करते हुए विनियामक फोरम की 60वीं बैठक में लिए गए निर्णय को जारी रखते हुए, एफओआर रिजर्व में से इस खर्च के लिए अपनी मंजूरी प्रदान की।

- फोरम ने राष्ट्रीय ट्रेजेक्टरीज के साथ राज्य के आरपीओ लक्ष्यों को संरेखित करने के संबंध में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) से प्राप्त संदर्भों पर चर्चा की, जिसमें आरपीओ लक्ष्यों को अगली आगामी अवधियों तक कैरी–फॉरवर्ड को निरुत्साहित करने के अलावा आरपीओ लक्ष्यों को पूरा करने में गैर–अनुपालन के मामलों में दंडात्मक प्रावधानों को लागू करना है। एमएनआरई से संचार के संदर्भ में, फोरम ने महसूस किया कि सरकार और विनियामक के बीच दायित्व के संतुलन के हित में, उचित होगा यदि एमएनआरई केवल मुद्दों को उठाए और किसी निर्दिष्ट कार्य को करने के लिए विनियामकों को निर्देश देने / सलाह देने से बचे।

2.2 पूरे किए गए अध्ययन

ग्रिड पर इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रभाव

विनियामक फोरम द्वारा ''ग्रिड पर इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रभाव'' पर एक अध्ययन प्रभावी और सहज एकीकरण के लिए अपेक्षित विनियामक तैयारियों और नीतिगत विधियों के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के एकीकरण के तकनीकी–आर्थिक विश्लेषण करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। अध्ययन आरंभ करने के लिए फोरम की सहायता हेतु, मैसर्स एमपी ईएन सिस्टम्स को बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया। तकनीकी विश्लेषण के लिए, परामर्शदाता ने आईआईटी मुंबई के एक प्रोफेसर से सहायता मांगी।

अध्ययन के भाग के रूप में, फीडरों पर ईवी के प्रभाव को समझने के लिए सिमुलेशन अभ्यास का अध्ययन किया गया है। यह देखा गया कि सिमुलेशन के परिणामों ने आवासीय, वाणिज्यिक और मिश्रित लोड फीडरों पर वोल्टेज की ड्रॉप्स / लाभ के संदर्भ में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं दिखाया है।

अन्य बातों के साथ–साथ सिफारिशों में सुसंगत कानूनी मुद्दों पर सुझाव और कुछ व्यावसायिक मॉडल के अलावा विनियामक हस्तक्षेप, नीतिगत विधियां शामिल हैं। यद्यपि विनियामक पहलुओं को उपयुक्त आयोग द्वारा निपटाया जाना है, तथापि विनियमों की एकरूपता और सामंजस्य के लिए निम्नलिखित अंतःक्षेपों पर टैरिफ नीति में या नियमों में उपयुक्त प्रावधान रखना उचित होगाः

- टैरिफों में वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में किए गए निवेश से गुजरने के लिए विनियामकों द्वारा अनुमति देना
- सार्वजनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारियों और निजी क्षेत्र / सार्वजनिक क्षेत्र के इच्छुक उपक्रमों / संघों के बीच फ्रेंचाइजी करारों के लिए सरलीकृत फ्रेमवर्क बनाना।
- सार्वजनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए आपूर्ति के अपने क्षेत्र के भीतर बहुविध और गैर–विशिष्ट मताधिकारी नियुक्त करने के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को अनुमति देना।
- सेवा की औसत लागत से अधिक के व्हीलिंग प्रभारों के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर की वृद्धिशील लागत की वसूली की अनुमति देकर ईवी के लिए नई टैरिफ श्रेणी बनाना।
- रात्रि समय में बैक–डाउन आस्तियों के उपयोग के लिए ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विशेष टीओडी संरचना की अनुमति देना।
- क्रॉस सब्सिडी अधिभार के बिना ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीगेटर्स को निर्बाध पहुंच की अनुमति देना। इसके अलावा घटे हुए टैरिफ को बढ़ावा देने के लिए आरई उत्पादन की बैंकिंग को अनुमति देना।
- ईवी द्वारा निर्मित मांग को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य सेय सीधे या प्रतिस्थापन के माध्यम सेय इस प्रकार के उपभोग के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन तंत्र तैयार किया जाना चाहिए।

फोरम ने 23 जून, 2017 को अपनी 60वीं बैठक में नोट किया कि यूटिलिटी के स्वामित्व वाले संस्थापनों, फ्रेंचाइजी द्वारा संस्थापनों (सार्वजनिक–निजी भागीदारी सहित) और बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों द्वारा एकत्रीकरण (बैटरी के मानकीकरण पर अभी भी अन्य मंचों पर बहस चल रही है), के अलावा किसी भी अन्य मॉडल के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 में नियमों / उपबंधों में संशोधन की आवश्यकता होगी। उचित विचार–विमर्श के बाद, फोरम ने ''ग्रिड पर इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रभाव'' पर अध्ययन रिपोर्ट को मंजूरी दी।

विनियामक फोरम अध्ययनों और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का प्रभाव आकलन

विनियामक फोरम ने पिछले पांच वर्षों के दौरान आयोजित ''विनियामक फोरम अध्ययनों और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों (सीबीपी) का प्रभाव आकलन'' और यह विश्लेषण करने के लिए कि क्या ये गतिविधियाँ फोरम के समग्र कृत्यों और उद्देश्यों के अनुरूप हैं, एक अध्ययन शुरू किया। फोरम को परामर्श सहायता प्रदान करने के लिए पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से मेसर्स प्राइसवाटरहाउसकूपर्स प्राइवेट लिमिटेड (पीडब्ल्यूसी) को चुना गया।

संदर्भ की शर्तों के अनुसार, निम्नलिखित कार्यों को अध्ययन

के भाग के रूप में किए जाने पर सहमति हुई:

- प्रभाव आकलन के लिए डिजाइन पैरामीटर
- फोरम के उद्देश्यों की तुलना में प्रभाव का आकलन करना
- क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के संबंध में विभिन्न राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) और संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों (जेईआरसी) से प्राप्त फीडबैक का विस्तृत विश्लेषण।
- विनियामक फोरम के सचिवालय द्वारा आयोजित अध्ययन और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के प्रभाव को बढ़ाने के लिए सिफारिशें करना।
- कोई अन्य सहबद्ध मामला।

भारत और विश्व में विनियामकों / नीति निर्माताओं द्वारा नियोजित प्रभाव के आकलन के विभिन्न दृष्टिकोणों और प्रयोगों की बेहतर समझ हासिल करने के लिए, कार्यक्रमों, योजनाओं, अध्ययनों और विशिष्ट हस्तक्षेपों के प्रभावों का आकलन करने के लिए बनाई गई कुछ सबसे अच्छे स्थापित फ्रेमवर्कों का अध्ययन किया गया।

निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानक हैं जिन्हें इस अध्ययन में माना गया है:

- विकास सहायता समिति (डीएसी) विकास मूल्यांकन के लिए गुणवत्ता मानक
- मूल्यांकन सहयोग समूह – मूल्यांकन पर अच्छा अभ्यास मानक
- पेरिस घोषणा और कार्रवाई के लिए अकरा एजेंडा
- प्रभाव मूल्यांकन के लिए डिजाइन और पद्धतियां – डीएफआईडी अध्ययन

भारत में प्रभाव आकलन अध्ययनों ने अध्ययन के उद्देश्यों और आवश्यकताओं के आधार पर आर्थिक, प्रायोगिक/अर्ध प्रयोगात्मक, प्रारंभिक, प्रभाव, मेटा, मध्यावधि, भागीदारी, नीति, प्रक्रिया, योग, सिंथेटिक, विषयगत और सिद्धांत–आधारित जैसे दृष्टिकोणों के संयोजन या दृष्टिकोण का उपयोग किया है।

गहन विश्लेषण के बाद, सीबीपी के प्रभाव आकलन के संचालन के लिए आधार के रूप में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) / डीएसी फ्रेमवर्क को प्रभाव आकलन के लिए चुना गया था।

अध्ययन ने बृहत्तर समन्वय और सभी हिताधिकारियों से जवाबदेही सुनिश्चित करने, अध्ययनों और सीबीपी में कवर किए जाने वाले प्रमुख विषयों का अनुमान लगाने के लिए हित सर्वेक्षण, अध्ययन और सीबीपी जीवनचक्र के प्रत्येक चरण पर प्रभावपूर्ण अध्ययनों और सीबीपी के लिए पूरा किए जाने वाले आवश्यक प्रमुख मानदंडों की जांच–सूची, संगत मुद्दों पर नियमित चर्चा के लिए ऑनलाइन फोरम, विनियामक फोरम के सचिवालय और एसईआरसी के बीच समन्वय के लिए संचार टेम्पलेट आदि के लिए विशिष्ट अध्ययनों / सीबीपी के लिए एक कार्यकारी समूह की नियुक्ति की सिफारिश की।

फोरम द्वारा 15 दिसंबर, 2017 को नई दिल्ली में आयोजित अपनी 62वीं बैठक में अध्ययन रिपोर्ट का समर्थन किया गया।

2.3 क्षमता निर्माण कार्यक्रम

विनियामक फोरम (एफओआर) के प्रमुख दायित्वों में से एक विद्युत विनियामक आयोगों (ईआरसी) के कर्मियों का क्षमता निर्माण है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में फोरम द्वारा निम्नलिखित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गुरुग्राम में 17 नवंबर, 2017 से 19 नवंबर, 2017 तक उत्तर पूर्व क्षेत्र के विनियामकों और विनियामक स्टाफ के लिए तीन दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम।

कार्यक्रम के दौरान कवर किए गए मुख्य विषय इस प्रकार हैं:

- भारत में विद्युत क्षेत्र में नीति और विनियामक प्रणाली का अवलोकन
- ग्रिड ऑपरेशन पर पोसोको द्वारा प्रस्तुति
- सीईआरसी में टैरिफ सेटिंग प्रक्रिया
- संबंधित सुविधाओं को देखने के साथ–साथ ई–कोर्ट पर प्रस्तुति और प्रदर्शन
- विनियामक सर्वोत्तम अभ्यास: गुजरात का केस अध्ययन
- ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अधीन पीएटी योजना
- यूटिलिटी के प्रदर्शन की मॉनिटरिंग

आईआईटी कानपुर आउटरीच सेंटर, नोएडा में 9 से 11 दिसंबर, 2017 तक और तदुपरांत सिंगापुर में 13 से 15 दिसंबर, 2017 तक 11वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम।

कार्यक्रम के दौरान शामिल मुख्य विषय इस प्रकार हैं:

- ऐपटेल और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण आदेश: विद्युत क्षेत्र के विनियमों के लिए निहितार्थ।
- वितरण यूटीलिटीज के लिए दीर्घकालिक मांग पूर्वानुमान और विद्युत खरीद नियोजन
- अल्पकालिक विद्युत खरीद– विनियम और अभ्यास
- उदय (यूडीएवाई): विद्युत क्षेत्र यूटीलिटीज के लिए चुनौतियां और आगे का रास्ता
- राज्यों में सौर रूफटॉप नीति और विनियम और

यूटीलिटीज का भविष्य

- स्मार्ट ग्रिड– यूटीलिटीज और विनियामकों के लिए आगे का रास्ता
- इलेक्ट्रिक वाहन– यूटीलिटी पर प्रभाव और विनियामक हस्तक्षेप
- पारंपरिक, सौर और पवन ऊर्जा के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली
- विद्युत प्रणाली प्रचालन और सहायक सेवाओं के लिए बाजार
- नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत की यूटिलिटीज का भविष्य
- विद्युत वितरण यूटिलिटीज के लिए प्रदर्शन बेंचमार्किंग
- सिंगापुर में विद्युत क्षेत्र का विनियमन– विकास और वर्तमान अभ्यास
- विद्युत के लिए खुदरा प्रतिस्पर्धा में परिवर्तन का प्रबंधन– सिंगापुर में अनुभव
- सिंगापुर में विद्युत की गतिशीलता– रोल आउट कार्यनीति और वितरण यूटिलिटीज की भूमिका
- सिंगापुर और दक्षिण पूर्व एशिया में विद्युत बाजार के विकास

राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद में 22 से 23 मार्च, 2018 तक सीजीआरएफ और लोकपाल के अधिकारियों के लिए ''उपभोक्ता हित की सुरक्षा'' पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।

कार्यक्रम के दौरान शामिल मुख्य विषय इस प्रकार हैं:

- उपभोक्ता शिकायतों से निपटने के लिए कार्यविधि– मॉडल तंत्र
- ग्राहक देखभाल अभ्यासों को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप
- मानकों और प्रदर्शन का परिचय और बीआरपीएल के बदलाव की कहानी
- डीएचबीवीएन में उपभोक्ता सशक्तीकरण और शिकायत निवारण तंत्र
- विभिन्न सीजीआरएफ और लोकपाल में उपभोक्ता देखभाल सर्वोत्तम अभ्यासों पर राउंडटेबल चर्चा
- दिल्ली में उपभोक्ता शिकायत निवारण अनुभव

3

वर्ष 2017–18 के दौरान विनियामक फोरम के सदस्य विनियामक निकायों की उपलब्धियां (सीईआरसी / एसईआरसी / जेईआरसी)

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग

विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा इसके लिए सौंपे गए दायित्वों के बारे में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ) ने संज्ञान लेते हुए, विद्युत क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान कई महत्वपूर्ण पहलें की।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के अंत तक, कुल स्थापित क्षमता 344 गीगावॉट थी। इसमें से, थर्मल उत्पादन (कोयला, गैस और डीजल सहित), हाइड्रो और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्रमशः 64.8%, 13.16% और 20.01% है। आरई क्षमता के 69 गीगावॉट में से, पवन ऊर्जा और सौर की क्षमताएं क्रमशः 34 गीगावॉट और 21.65 गीगावॉट हैं। शेष क्षमता को लघु हाइड्रो पावर, बायोमास, अपशिष्ट–से–ऊर्जा आदि के बीच शेयर किया गया था। भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को 175 गीगावॉट तक बढ़ा दिया है जिसमें 100 गीगावॉट सौर से, 60 गीगावॉट पवन से, 10 गीगावॉट बायोपावर से और 5 गीगावॉट लघु हाइड्रोपावर से शामिल हैं। लक्ष्य में मुख्य रूप से 40 गीगावॉट रूफ–टॉप और बृहत और मध्यम पैमाने के ग्रिड से जुड़े सौर विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से 60 गीगावॉट शामिल होंगे। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लक्ष्यों के लिए, आयोग ने कई उपाय किए हैं।

अखिल भारतीय ग्रिड के एकीकृत प्रचालन के लिए, विभिन्न पावर प्रणाली तत्वों के वास्तविक समय के डाटा की निर्बाध उपलब्धता महत्वपूर्ण लिंक बनाती है। विद्युत प्रणाली की प्रभावी मॉनिटरिंग, पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए डाटा को रात–दिन भार प्रेषण केंद्र पर चक्रीय रूप से (आमतौर पर हर दस सेकंड में) स्वतः अद्यतन करने की आवश्यकता होती है। आयोग ने ग्रिड के सुरक्षित, विश्वसनीय और आर्थिक प्रचालन को सुकर बनाने के लिए संचार प्रणाली के महत्व पर बल देते हुए, विद्युत के अंतर–राज्यिक पारेषण के लिए संचार प्रणाली के संबंध में विनियमों को अधिसूचित किया। इन विनियमों का उद्देश्य संचार प्रणाली को सशक्त बनाना है और राष्ट्रीय, प्रादेशिक और अंतर–राज्यिक स्तर पर विद्युत प्रणाली के लिए डाटा संचार और टेली–संरक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले संचार इंफ्रास्ट्रक्चर पर लागू होता है। इन विनियमों में राज्य स्तर पर विद्युत प्रणाली के लिए भी व्यवस्था है, जब तक कि संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा उपयुक्त विनियम तैयार नहीं किए जाते। इन विनियमों ने बाजार प्रचालनों सहित प्रणाली प्रचालन और नियंत्रण के लिए डाटा की निरंतर उपलब्धता के लिए प्रणाली में विभिन्न व्यक्तियों और सहभागियों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों, दिशानिर्देशों और मानकों को निर्धारित किया। ऐसे उपबंध सम्मिलित किए गए थे, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ राष्ट्रीय ग्रिड के एकीकृत प्रचालन के लिए डाटा के आदान–प्रदान सहित विश्वसनीय संचार प्रणाली के नियोजन, कार्यान्वयन, प्रचालन, रखरखाव और उन्नयन के लिए व्यवस्था है।

वर्ष 2017–18 के दौरान, आयोग ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत विनियमों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन और शर्तों को अधिसूचित किया, जिसके माध्यम से, आयोग ने विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ पवन ऊर्जा, लघु हाइड्रो, बायोमास (रैंकिन चक्र पर आधारित), सौर (पीवी और थर्मल), बायोमास, बायोगैस, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट / रिफ्यूज से प्राप्त ईंधन परियोजनाएं (रैंकिन चक्र प्रौद्योगिकी पर आधारित) आदि सम्मिलित हैं, पर आधारित ग्रिड इंटरएक्टिव विद्युत परियोजनाओं के लिए टैरिफ अवधारण के लिए टैरिफ संरचना और डिजाइन, वित्तीय सिद्धांतों, प्रचालन मानदंडों और प्रौद्योगिकी निर्दिष्ट मापदंडों को विनिर्दिष्ट किया। आयोग ने सौर पीवी और सौर थर्मल, पवन ऊर्जा (ऑन–शोर और ऑफ–शोर सहित), नगर पालिका ठोस अपशिष्ट और रिफ्यूज से प्राप्त ईंधन आधारित परियोजनाओं, बायोमास गैसीफायर आधारित परियोजनाओं (यदि परियोजना डेवलपर द्वारा चुना गया हो), बायोगैस आधारित परियोजनाओं (यदि परियोजना डेवलपर द्वारा चुना गया हो) के संबंध में सामान्य टैरिफ का अवधारण करने का अनुसरण नहीं किया, अन्य हाइब्रिड परियोजनाओं में नवीकरणीय–नवीकरणीय या नवीकरणीय–पारंपरिक स्रोत सम्मिलित हैं, जिसके लिए एमएनआरई द्वारा नवीकरणीय प्रौद्योगिकी को मंजूरी दी गई है। इन आरई प्रौद्योगिकियों के संबंध में, परियोजना निर्दिष्ट टैरिफ अगली नियंत्रण अवधि (2017–2020) के लिए अवधारित किया जाएगा।

प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत बाजार के प्रचालन के लिए पारेषण इन्फ्रास्ट्रक्चर रीढ़ है। विद्युत अधिनियम, 2003 ने डी–लाइसेंस उत्पादन और निर्बाध पहुंच के युग की शुरुआत की। पारेषण वह कड़ी है जो इन दोनों में तालमेल बैठाती है। यद्यपि, निर्बाध पहुंच के साथ पारेषण की अनुज्ञप्ति प्राप्त गतिविधि

और निर्बाध पहुंच एवं डी–लाइसेंस उत्पादन के बीच तादात्म्य प्राप्त करना, पहचाने गए स्थान के साथ किए गए नियोजन और अतंरराज्यिक उत्पादनकारी स्टेशनों और उनके पहचाने गए लाभार्थियों की क्षमता की तुलना में कुछ चुनौतियां खड़ी करते हैं।

विद्युत अधिनियम, 2003 के लागू होने के तदुपरांत, आयोग ने निर्बाध पहुंच, संयोजकता, प्रभारों और हानियों की शेयरिंग आदि के संबंध में विनियमों को अधिसूचित किया। निर्बाध पहुंच के कार्यान्वयन में उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर उचित ध्यान देने के साथ, प्रचलित विनियमों की जांच के बाद पारेषण नियोजन, संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच, मध्यकालिक निर्बाध पहुंच और अन्य सहबद्ध मामलों के संबंध में स्टाफ पेपर प्रकाशित हुआ।

इसके बाद, आयोग ने श्री माता प्रसाद की अध्यक्षता में ''पारेषण नियोजन, संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच, मध्यकालिक निर्बाध पहुंच और अन्य सहबद्ध मामलों की समीक्षा'' के लिए एक समिति का गठन किया। समिति की सिफारिशों की जांच करने के बाद, आयोग ने सामान्य नेटवर्क पहुंच पर विनियमों का प्रारूप तैयार किया। इन विनियमों का उद्देश्य अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली के नियोजन और विकास में पर्याप्तता सुनिश्चित करना है। जीएनए, संस्थाओं को प्रणाली अध्ययनों के माध्यम से सीटीयू द्वारा किए गए आकलन के अनुसार किसी भी आईएसटीएस प्वाइंट को दिए गए संपर्क बिंदु / जोन (पीओसी) से आहरण या आपूर्ति करने की सुविधा प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, उत्पादनकर्ता और राज्यों / उपभोक्ता को विद्युत की सहमत मात्रा (मेगावाट) के लिए आईएसटीएस को सामान्य नेटवर्क पहुंच (जीएनए) दिया जा सकता है और जीएनए करार निवेश के लिए चालक बन सकता है। इस तंत्र से हितधारकों द्वारा परेशानी रहित पहुंच को सुगम बनाते हुए पारेषण प्रणाली का विकास अपेक्षित है।

आयोग ने केन्द्रीय उत्पादनकारी स्टेशनों, अंतरराज्यिक उत्पादनकारी स्टेशनों और अन्य उत्पादनकारी स्टेशनों के कोयला / लिग्नाइट / गैस इकाई (इकाइयों) को त्यागने के और इस प्रकार की इकाइयों को तकनीकी न्यूनतम अनुसूची के नीचे अनुसूचीकरण पर रिजर्व शट–डाउन के अधीन लाने के लिए एक विस्तृत प्रचालन प्रक्रिया भी प्रकाशित की। डीओपी में अन्य बातों के साथ–साथ निम्न प्रणाली मांग, विद्युत आपूर्ति के विनियमन के दौरान, उच्च नवीकरणीय की घटना आदि, उत्पादनकारी इकाइयों को आरएसडी के अधीन लाने के लिए कार्यविधिय विभिन्न एजेंसियों की भूमिका, डाटा आवश्यकताएं, आदि जैसी निर्दिष्ट ग्रिड परिस्थितियों में त्यागे जाने वाले उत्पादनकारी स्टेशनों और उनकी इकाइयों की पहचान के लिए कार्यप्रणाली भी सम्मिलित है। यह डीओपी आरएलडीसी, एसएलडीसी, सीजीएस और आईएसजीएस पर लागू होता है, जिनका टैरिफ या तो केंद्रीय आयोग द्वारा अवधारित किया जाता है या अपनाया जाता है और उत्पादनकारी स्टेशन जो कि प्रादेशिक संस्थाएं हैं, लेकिन जिनका टैरिफ न तो आयोग द्वारा अवधारित है और न ही अपनाया गया है। उत्पादनकारी स्टेशनों के मामले में जिनका टैरिफ आयोग द्वारा अवधारित किया जाता है या अपनाया जाता है, लेकिन एसएलडीसी द्व ारा अनुसूचित किए गए हैं, ऐसी मशीनों को आरएसडी के अधीन लाने के लिए एसएलडीसी द्वारा समान तंत्र अपनाया जाएगा। प्रादेशिक संस्थाएं जिनका टैरिफ न तो केंद्रीय आयोग द्वारा अवधारित किया जाता है और न ही अपनाया जाता है, इस प्रक्रिया के अधीन हैं।

आयोग ने वास्तविक समय में मांग आपूर्ति अंतराल को पाटने में रिजर्वों की महत्वपूर्ण भूमिका का संज्ञान लिया। इस संदर्भ में, आयोग ने केविविआ के सदस्य श्री ए. एस. बख्शी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने क्षमता के रूप में स्पिनिंग रिजर्वों के निर्माण के लिए सिफारिश की, जिसे प्रणाली प्रचालक के निर्देशों के अनुसार सक्रिय किया जा सकता है और इसे उत्पादनकारी स्टेशनों / इकाइयों सहित उपकरणों द्वारा प्रदान किया जा सकता है, जो ग्रिड से सिंक्रनाइज हैं और सक्रिय विद्युत में परिवर्तन को प्रभावित करने में सक्षम हैं। आयोग ने, सिफारिशों को प्रभावी बनाते हुए आईईजीसी विनियमों में संशोधन किया। संशोधन में सहायक रिजर्व सेवाओं के प्रचालन के लिए आईएसजीएस के विद्युत के अनुसूचीकरण और प्रेषण के लिए, अनापेक्षित विद्युत के उपयोग के लिए और आईएसजीएस, एनएलडीसी, आरएलडीसी, एसएलडीसी, विद्युत एक्सचेंजों और अन्य संबंधित उपयोगकर्ताओं के बीच सूचना के प्रवाह की प्रक्रिया के साथ स्पिनिंग रिजर्व के प्रचालन के लिए भी व्यवस्था है।

असम विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- एईआरसी (स्मार्ट ग्रिड) विनियम, 2017
- एईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2017
- एईआरसी (ग्रिड इंटरएक्टिव सौर पीवी प्रणालियां) विनियम 2015 (प्रथम संशोधन), 2017
- एईआरसी (माइक्रो / मिनी ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और आपूर्ति) विनियम, 2017

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- 2016–19 के लिए बहु वर्ष टैरिफ आदेश और वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए टैरिफ – असम विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एपीडीसीएल)
- 2016–19 के लिए बहु वर्ष टैरिफ आदेश और वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए स्टेशन वार टैरिफ– असम पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीजीसीएल)
- 2016–19 के लिए बहु वर्ष टैरिफ आदेश और वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए टैरिफ – असम विद्युत ग्रिड निगम लिमिटेड (एईजीसीएल)
- वित्तीय वर्ष 2017–18 के नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न विद्युत के सामान्य स्तरीय टैरिफ के अवधारण

पर स्वःप्रेरणा आदेश

आंध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- कैप्टिव उत्पादन, सह–उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत विद्युत संयंत्रों (2017 का विनियम संख्या 3) से विद्युत निकासी के संबंध में आंध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (एपीईआरसी) विनियम
- आंध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (सौर और पवन उत्पादन का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण और विचलन व्यवस्थापन) विनियम, 2017 (2017 का विनियम संख्या 4)
- एपीईआरसी नवीकरणीय ऊर्जा खरीद बाध्यता (नवीकरणीय ऊर्जा / नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों की खरीद द्वारा अनुपालन) विनियम, 2017

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान आरईएससीओ के लिए विद्युत खरीद मूल्य का अवधारण
- वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए खुदरा आपूर्ति टैरिफ का अवधारण

अरुणाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- एपीएसईआरसी (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्रक्रिया, निबंधन और शर्तें और अन्य सहबद्ध मामले) विनियम – 2017
- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए एपीएसईआरसी निबंधन और शर्तें विनियम – 2012 (प्रथम संशोधन) – 2017
- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए एपीएसईआरसी ड्राफ्ट निबंधन और शर्तें विनियम – 2018

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- विद्युत विभाग के संबंध में 2017–18 के लिए खुदरा टैरिफ आदेश
- हाइड्रो विद्युत विकास विभाग के संबंध में 2017–18 के लिए टैरिफ आदेश

बिहार विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- बीईआरसी (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, विद्युत लोकपाल और उपभोक्ता अधिवक्ता) विनियम, 2017
- बीईआरसी (सौर ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2017
- बीईआरसी (नवीकरणीय खरीद बाध्यता, इसका अनुपालन और आरईसी फ्रेमवर्क कार्यान्वयन) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए एसबीपीडीसीएल का टैरिफ आदेश
- वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए एनबीपीडीसीएल का टैरिफ आदेश
- वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (बीएसपीजीसीएल) का टैरिफ आदेश
- वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए बिहार राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड (बीएसपीटीसीएल) का टैरिफ आदेश

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किया है:

- सीएसपीडीसीएल, सीएसपीटीसीएल, सीएसपीजीसीएल और सीएसएलडीसी के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए अंतिम ट्रू अप और सीएसपीडीसीएल, सीएसपीटीसीएल और सीएसपीजीसीएल के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए टैरिफ के अवधारण का आदेश

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- नेट मीटरिंग रूफटॉप सौर पीवी ग्रिड इंटरएक्टिव प्रणालियों के लिए विनियमों के संबंध में प्रथम संशोधन

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किया है:

- एस्पेन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, कांडला पोर्ट ट्रस्ट, टीपीएल – डी (अहमदाबाद), टीपीएल – डी (सूरत), टीपीएल – उत्पादन, टीपीएल – डी (दहज), जीएसईसीएल, जीईटीसीओ, एसएलडीसी और यूजीवीसीएल के लिए टैरिफ आदेश

गुजरात विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- नेट मीटरिंग रूफटॉप सौर पीवी ग्रिड इंटरएक्टिव प्रणालियों के लिए विनियमों के संबंध में प्रथम संशोधन

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किया है:

- एस्पेन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, कांडला पोर्ट ट्रस्ट, टीपीएल – डी (अहमदाबाद), टीपीएल – डी (सूरत), टीपीएल – उत्पादन, टीपीएल – डी (दहज), जीएसईसीएल, जीईटीसीओ, एसएलडीसी और यूजीवीसीएल के लिए टैरिफ आदेश

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) संशोधन विनियम, 2017

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किया है:

- वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए ट्रू अप, वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए वार्षिक (मध्य वर्ष) प्रदर्शन की समीक्षा, वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए यूएचबीवीएनएल और डीएचबीवीएनएल की सकल राजस्व आवश्यकता और वितरण और खुदरा आपूर्ति टैरिफ

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- एचपीईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादन का संवर्धन और टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2017
- एचपीईआरसी (नवीकरणीय विद्युत खरीद बाध्यता और उसका अनुपालन) (चौथा संशोधन) विनियम, 2017

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वित्तीय वर्ष 18 और मध्यावधि प्रदर्शन की समीक्षा के लिए टैरिफ का अवधारण
- वित्तीय वर्ष 2014–15 और वित्तीय वर्ष 2015–16 की एचपीपीटीसीएल ट्रू अप और वित्तीय वर्ष 2016–17, वित्तीय वर्ष 2017–18 और वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए मध्यावधि समीक्षा
- वित्तीय वर्ष 2011–12 से वित्तीय वर्ष 2013–14 की अवधि के लिए हिमाचल प्रदेश विद्युत पारेषण निगम लिमिटेड (एचपीपीटीसीएल) के लिए ट्रू अप आदेश
- वित्तीय वर्ष 2011–12 से वित्तीय वर्ष 2013–14 की अवधि के लिए ट्रू अप और मध्यावधि की समीक्षा
- वित्तीय वर्ष 2017–18 की विभिन्न अवधियों के लिए सौर पीवी परियोजनाओं के लिए सामान्य स्तरीय टैरिफों का अवधारण

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा और संघ राज्य प्रदेश)

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए टैरिफ का अवधारण, वित्तीय वर्ष 2016–17 की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा और विद्युत विभाग, दमन और दीव के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 का ट्रू–अप
- वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए टैरिफ का अवधारण, वित्तीय वर्ष 2016–17 की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा और चंडीगढ़ विद्युत विभाग (सीईडी) के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 का ट्रू–अप)

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (मणिपुर और मिजोरम)

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए थे

- विद्युत आपूर्ति कोड (आठवां संशोधन) विनियम, 2017
- विद्युत आपूर्ति कोड (नौवां संशोधन) विनियम, 2017

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- मिजोरम सरकार के पावर एवं विद्युत विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए ट्रू अप वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए समीक्षा वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए पुनरीक्षित सकल राजस्व आवश्यकता
- मणिपुर राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 और वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए ट्रू अप, वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए समीक्षा, वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए सकल राजस्व आवश्यकता और खुदरा टैरिफ का अवधारण।
- मणिपुर राज्य विद्युत कंपनी लिमिटेड के लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 और वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए ट्रू अप, वित्तीय वर्ष 2016– 17 के लिए समीक्षा, वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए सकल राजस्व आवश्यकता और खुदरा टैरिफ का अवधारण।
- मणिपुर में रूफ टॉप सौर पावर प्लांट के लिए स्तरित टैरिफ का अवधारण

झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी किए गए

- वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2020–21 की बहु वर्ष नियंत्रण अवधि के लिए कारोबार योजना और एआरआर की स्वीकृति और वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए वितरण और खुदरा आपूर्ति टैरिफ के संबंध में आदेश
- वित्तीय वर्ष 2006–07 से वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए ट्रू–अप और डीवीसी के लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए एपीआर के संबंध में आदेश
- जमशेदपुर यूटिलिटीज एंड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड और टाटा स्टील लिमिटेड के लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए ट्रू–अप और वित्तीय वर्ष 2015–16 का एपीआर और वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष

2020–17 की बहु वर्ष टैरिफ अवधि के लिए कारोबार योजना एवं एआरआर और वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए टैरिफ के संबंध में आदेश।

कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- केईआरसी (नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा की खरीद) विनियम, 2017 का 5वां संशोधन
- केईआरसी (निर्बाध पहुंच के लिए निबंधन और शर्तें) चौथा संशोधन) विनियम, 2017 का चौथा संशोधन
- केईआरसी (प्रतिभूति जमा) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2017
- केईआरसी (विद्युत की आपूर्ति के लिए व्यय की वसूली) विनियम, 2017 का नौवां संशोधन

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- बहु वर्ष टैरिफ फ्रेमवर्क के अधीन वित्तीय वर्ष 2016 के लिए वार्षिक प्रदर्शन की समीक्षा, वित्तीय वर्ष 2018 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता का पुनरीक्षण और वित्तीय वर्ष 2018 के लिए खुदरा आपूर्ति टैरिफ के पुनरीक्षण के संबंध में बीईएससीओएम के लिए टैरिफ आदेश
- बहु वर्ष टैरिफ फ्रेमवर्क के अधीन वित्तीय वर्ष 2016 के लिए वार्षिक प्रदर्शन की समीक्षा, वित्तीय वर्ष 2018 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता का पुनरीक्षण और वित्तीय वर्ष 2018 के लिए खुदरा आपूर्ति टैरिफ के पुनरीक्षण के संबंध में एचईएससीओएम के लिए टैरिफ आदेश
- बहु वर्ष टैरिफ फ्रेमवर्क के अधीन वित्तीय वर्ष 2016 के लिए वार्षिक प्रदर्शन की समीक्षा, वित्तीय वर्ष 2018 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता का पुनरीक्षण और वित्तीय वर्ष 2018 के लिए खुदरा आपूर्ति टैरिफ के पुनरीक्षण के संबंध में एमईएससीओएम के लिए टैरिफ आदेश
- बहु वर्ष टैरिफ फ्रेमवर्क के अधीन वित्तीय वर्ष 2016 के लिए वार्षिक प्रदर्शन की समीक्षा, वित्तीय वर्ष 2018 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता का पुनरीक्षण और वित्तीय वर्ष 2018 के लिए खुदरा आपूर्ति टैरिफ के पुनरीक्षण के संबंध में जीईएससीओएम के लिए टैरिफ आदेश
- बहु वर्ष टैरिफ फ्रेमवर्क के अधीन वित्तीय वर्ष 2016 के लिए वार्षिक प्रदर्शन की समीक्षा, वित्तीय वर्ष 2018 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता का पुनरीक्षण और वित्तीय वर्ष 2018 के लिए खुदरा आपूर्ति टैरिफ के पुनरीक्षण के संबंध में सीईएसई के लिए टैरिफ आदेश
- बहु वर्ष टैरिफ फ्रेमवर्क के अधीन वित्तीय वर्ष 2016 के लिए वार्षिक प्रदर्शन की समीक्षा, वित्तीय वर्ष 2018 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता का पुनरीक्षण और वित्तीय वर्ष 2018 के लिए खुदरा आपूर्ति टैरिफ के पुनरीक्षण के संबंध में केपीटीसीएल के लिए टैरिफ आदेश

केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा) संशोधन विनियम, 2017
- केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) संशोधन विनियम, 2017
- केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) संशोधन विनियमन, 2017
- केरल विद्युत आपूर्ति (संशोधन) कोड, 2017

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र, ब्रह्मपुरम् – कोच्चि नगर निगम से केएसईबी लिमिटेड को विद्युत की बिक्री के लिए टैरिफ का अवधारण
- केएसईबी लिमिटेड और अन्य अनुज्ञप्तिधारियों के लिए दिनांक 01.04.2018 से प्रभावी टैरिफ विस्तार आदेश

महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (बहु वर्ष टैरिफ) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2017
- एमईआरसी (फीस और प्रभार) विनियम, 2017
- महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति शर्तें) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2017
- महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति शर्तें) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2017
- एमईआरसी (वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के प्रदर्शन के मानक, आपूर्ति प्रदान करने के लिए अवधि और मुआवजे का अवधारण) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2017

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वित्तीय वर्ष 2015–16 और वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए अंतिम ट्रू–अप की मंजूरी के लिए महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड की याचिका, वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए अनंतिम ट्रू–अप और वित्तीय

वर्ष 2018–19 और वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए पुनरीक्षित टैरिफ के संबंध में आदेश

- नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए स्तरित टैरिफ आदेश की प्रयोज्यता की अवधि का विस्तार

मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- मध्यप्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत का सहउत्पादन और उत्पादन) 2017 में छठा संशोधन
- एमपीईआरसी (ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत का सहउत्पादन और उत्पादन) (पुनरीक्षण– I) विनियम, 2010 में सातवाँ संशोधन
- एमपीईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा के लिए टैरिफ अवधारण के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2017 (2017 का जी –43)

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वितरण अनुज्ञप्तिधारियों अर्थात् मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (पूर्व डिस्कॉम), मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (पश्चिम डिस्कॉम) और मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (मध्य डिस्कॉम) और मध्य प्रदेश विद्युत प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (एमपीपीएमसीएल) द्वारा दायर की गई टैरिफ याचिका और एआरआर के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए सकल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) और खुदरा आपूर्ति टैरिफ का अवधारण।
- वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए एमपीपीटीसीएल जबलपुर के ट्रांसमिशन टैरिफ का ट्रू–अप, मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के दिनांक 02 अप्रैल 2013 के बहु वर्ष टैरिफ आदेश के माध्यम से अवधारित किया गया।

मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- एमएसईआरसी (उपभोक्ता शिकायतों का निवारण और विद्युत लोकपाल) विनियम, 2017
- एमएसईआरसी (फीस और प्रभार) विनियम, 2017

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- 2018–2019 के लिए मेघालय विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का टैरिफ आदेश
- 2018–2019 के लिए मेघालय विद्युत पारेषण निगम लिमिटेड का टैरिफ आदेश
- 2018–2019 के लिए मेघालय विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का टैरिफ आदेश

नागालैंड विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियमन को अधिसूचित किया गया

- सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें (प्रथम संशोधन) विनियम, 2017

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किया है:

- विद्युत विभाग नागालैंड सरकार के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 से वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए सकल राजस्व आवश्यकता और वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए टैरिफ के संबंध में आदेश

ओडिशा विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किया गया

- मान्यता और पंजीकरण के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की सिफारिश करने के लिए और ओईआरसी (नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा की खरीद और इसका अनुपालन) विनियम, 2015 के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए राज्य एजेंसी के रूप में ओआरईडीए के संबंध में राजपत्र अधिसूचना

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता और खुदरा आपूर्ति टैरिफ
- वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए राज्य भार प्रेषण केन्द्र सेंटर (एसएलडीसी) के लिए वार्षिक फीस और प्रचालन प्रभार
- वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता और पारेषण टैरिफ का अवधारण (मेसर्स ओपीसीएल)
- वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता और टैरिफ (मेसर्स ग्रीडको)
- वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता और टैरिफ (मेसर्स ओपीजीसी)
- वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता और टैरिफ (मेसर्स ओएचपीसी)

पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम को अधिसूचित किया गया

- पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति कोड और सहबद्ध मामले) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वित्तीय वर्ष 2017–18, वित्तीय वर्ष 2018–19 और वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता और पंजाब राज्य पारेषण निगम लिमिटेड (पीएसटीसीएल) द्वारा विद्युत के पारेषण के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए टैरिफ के लिए आदेश
- पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (पीएसपीसीएल) के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 से वित्तीय वर्ष 2019–20 तक बहु वर्ष नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ आदेश

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- आरईआरसी (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और सबद्ध मामले) विनियम, 2017
- आरईआरसी (सौर और पवन उत्पादन स्रोतों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन और सहबद्ध मामले) विनियम, 2017
- आरईआरसी (विद्युत आपूर्ति कोड और सहबद्ध मामले) (ग्यारहवां संशोधन) विनियम, 2017
- आरईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र और नवीकरणीय खरीद बाध्यता अनुपालन फ्रेमवर्क) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017
- आरईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा बाध्यता) (चौथा संशोधन) विनियम, 2017
- आरईआरसी (विद्युत अनुज्ञप्तिधारियों की विद्युत खरीद और खरीद प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियम, 2017

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- जेवीवीएनएल, एवीवीएनएल और जेडीवीवीएनएल के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 और 2017–18 के लिए एआरआर का अनुमोदन और टैरिफ याचिकाओं के संबंध में आदेश
- जेवीवीएनएल, एवीवीएनएल और जेडीवीवीएनएल के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 और 2017–18 के लिए निवेश योजना के अनुमोदन के संबंध में आदेश
- आरवीयूएन के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए एआरआर और टैरिफ का अवधारण और वित्तीय वर्ष 2014–15 और वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए एआरआर के ट्रू–अप को मंजूरी
- आरडब्ल्यूपीएल के लिए वित्तीय वर्ष 2014–15, वित्तीय वर्ष 2015–16 और वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए एआरआर और टैरिफ का अवधारण
- आरवीपीएन के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए एआरआर और टैरिफ का अवधारण और निवेश योजना की स्वीकृति और वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए एआरआर का ट्रू अप
- जेवीवीएनएल, एवीवीएनएल और जेडीवीवीएनएल के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए विद्युत खरीद की पूल्ड लागत का अवधारण

सिक्किम राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- एसएसईआरसी (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा फीस और प्रभारों की उगाही और संग्रहण) विनियम, 2017
- एसएसईआरसी (मांग पक्ष प्रबंधन) विनियम, 2017
- एसएसईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा खरीद बाध्यता और उसका अनुपालन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2017
- एसएसईआरसी (बहु वर्ष टैरिफ फ्रेमवर्क के अधीन उत्पादन, पारेषण, व्हीलिंग और वितरण और खुदरा आपूर्ति के लिए टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किया है:

- वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए अनुमोदित टैरिफ आदेश

त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- टैरिफ विनियम, 2015 का पहला संशोधन
- टैरिफ विनियम, 2017 (बहु वर्ष टैरिफ) का पहला संशोधन

तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किया गया

- तमिलनाडु विद्युत वितरण कोड में संशोधन

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वित्तीय वर्ष 2017–18 और वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए सकल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) और वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए भार प्रेषण केन्द्र प्रभारों का अवधारण
- नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए व्यापक टैरिफ आदेश
- सौर विद्युत के संबंध में व्यापक टैरिफ आदेश

- अंतःराज्यिक पारेषण टैरिफ और अन्य संबंधित प्रभारों का अवधारण
- उत्पादन और वितरण के लिए टैरिफ का अवधारण

तेलंगाना राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किया गया

- 2006 का विनियम संख्या 2 (निर्बाध पहुंच संव्यवहारों के लिए अंतरिम संतुलन और व्यवस्थापन कोड) में तीसरा संशोधन

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वित्तीय वर्ष 2018–19 टीएसएसपीडीसीएल/टीएसएनपीडीसीएल के लिए खुदरा आपूर्ति टैरिफों के लिए टैरिफ आदेश
- 2017–18 के लिए सिरसीला टैरिफ आदेश

उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किया गया

- एबीटी (सौर और पवन) (पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन और सहबद्ध मामले) विनियम 2018

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वित्तीय वर्ष 2016–17 और वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए एपीआर भरने और वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए ट्रू–अप याचिका के लिए आदेश
- एनपीसीएल के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 से वित्तीय वर्ष 2019–20 की बहु वर्ष टैरिफ की प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कारोबार योजना और वार्षिक राजस्व आवश्यकता और टैरिफ याचिका के अवधारण और वित्तीय वर्ष 2015–16 के ट्रूइंग–अप की स्वीकृति के लिए आदेश
- यूपीपीटीसीएल के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि अर्थात् वित्तीय वर्ष 2017–18 से वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कारोबार योजना और वार्षिक राजस्व आवश्यकता और बहु वर्ष टैरिफ और 2014–15 के लिए ट्रू अप की स्वीकृति के लिए याचिकाओं के लिए आदेश
- 5 अनुज्ञप्तिधारियों – एमवीवीएनएल, पीवीवीएनएल, डीवीवीएनएल, पीयूवीवीएनएल, केस्को के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि अर्थात् वित्तीय वर्ष 2017–18 से वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कारोबार योजना और वार्षिक राजस्व आवश्यकता और बहु वर्ष टैरिफ और 2014–15 के लिए ट्रू अप की स्वीकृति के लिए याचिकाओं के लिए आदेश

उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- यूईआरसी (सदस्यों की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश और उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए फोरम द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017
- यूईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादनकारी स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति के लिए टैरिफ और अन्य निबंधन) (छठा संशोधन) विनियम, 2017 (मूल विनियम, 2013 में संशोधन)
- यूईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादनकारी स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति के लिए टैरिफ और अन्य निबंधन) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017 (मूल विनियम, 2010 में संशोधन)
- उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग (बहु वर्ष टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017
- उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और सहबद्ध मामले) विनियम, 2017
- उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग (बहु वर्ष टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2017

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- उत्तराखंड विद्युत निगम लिमिटेड के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए ट्रू अप, वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए वार्षिक प्रदर्शन की समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए एआरआर के संबंध में आदेश
- पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए ट्रू अप, वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए वार्षिक प्रदर्शन की समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए एआरआर के संबंध में आदेश
- यूजेवीएन लिमिटेड के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए ट्रू अप, वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए वार्षिक प्रदर्शन की समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए वार्षिक स्थायी प्रभारों के संबंध में आदेश
- उत्तराखंड के राज्य भार प्रेषण केंद्र के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए वार्षिक प्रदर्शन की समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए पुनरीक्षित एआरआर के संबंध में आदेश

पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वर्ष 2017 – 2018 के लिए एचईएल उत्पादनकारी स्टेशन का टैरिफ आदेश

4

राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्थिति

1. वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग की टैरिफ अनुसूची (**अनुबंध– I**)
2. वित्तीय वर्ष 17–18 के दौरान राज्य विद्युत विनियामक आयोग के आदेशों की समयबद्धता (**अनुबंध– II**)
3. 31 मार्च, 2018 को ऐपटेल को सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर, वित्तीय वर्ष 17–18 के दौरान सीजीआरएफ और लोकपाल के कार्य (**अनुबंध– III**)

5 एसईआरसी के अध्यक्ष की सूची

विनियामक मंच के सदस्य ख्एफ ओ आर, (31–03–2018 की स्थिति)		
विनियामक फोरम के अध्यक्ष		
01.	श्री पी– के– पुजारी	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (CERC)
विनियामक फोरम के सदस्य		
02.	श्री जी भवानी प्रसाद न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त)	आंध्र विद्युत विनियामक आयोग (APERC)
03.	श्री आर.पी. सिंह	अरुणाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (APSERC)
04.	श्री सुभाष चंद्र दास	असम विद्युत विनियामक आयोग (AERC)
05.	श्री एस के नेगी	बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग (BERC)
06.	श्री नारायण सिंह	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग (CSERC)
07.	–––	दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (DERC)
08.	श्री आनंद कुमार	गुजरात विद्युत विनियामक आयोग (GERC)
09.	श्री जगजीत सिंह	हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC)
10.	श्री एस.के.बी.एस. नेगी	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (HPERC)
11.	–––	जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत विनियामक आयोग (J-KSERC)
12.	डॉ– अरबिन्द प्रसाद	झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (JSERC)
13.	श्री एम.के. गोयल	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग –गोवा एवं संघशासित प्रदेश
14.	श्री एन गंगोमसरत सिंह	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग –मणिपुर एवं मिजोरम
15.	श्री एम. के. शंकरलिंगे गौड़ा	कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग (KERC)
16.	श्री प्रेमनदिनरज	केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग (KSERC)
17.	श्री देव राज बिर्डी	मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (MPERC)
18.	श्री आनंद बी कुलकर्णी	महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (MERC)
19.	श्री डब्ल्यू.एम.एस. परियात	मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग (MSERC)
20.	श्री इमलीकुमजुक एओ	नगालैंड विद्युत विनियामक आयोग (NERC)

विनियामक मंच के सदस्य ख्एफ ओ आर, (31–03–2018 की स्थिति)		
विनियामक फोरम के अध्यक्ष		
21.	श्री यू.एन. बेहरा	ओडिशा विद्युत विनियामक आयोग (OERC)
22.	श्री कुसुमजीत सिद्धू	पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (PSERC)
23.	श्री विश्वनाथ हिरेमठ	राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (RERC)
24.	श्री नंदा राम भट्टराई	सिक्किम राज्य विद्युत विनियामक आयोग (SSERC)
25.	श्री एस अक्षय कुमार	तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग (TNERC)
26.	श्री इस्माइल अली खान	तेलंगाना राज्य विद्युत विनियामक आयोग (TSERC)
27.	–––	त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग (TERC)
28.	श्री सुरेश कुमार अग्रवाल	उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (UPERC)
29.	श्री सुभाष कुमार	उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग (UERC)
30.	श्री रवीन्द्र नाथ सेन	पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (WBERC)

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
सचिव
विनियामक फोरम,
सचिवालयः मार्फत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
तृतीय व चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिग, 36 जनपथ,
नई दिल्ली – 110 001

हमने 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार विनियामक फोरम की संलग्न तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा और प्राप्तियां और भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा की है। यह वित्तीय विवरण प्राथमिक रूप से विनियामक फोरम का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारे लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणियों पर राय व्यक्त करना है।

हमने भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा है कि उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम लेखापरीक्षा की योजना बनाते हैं और कार्यनिष्पादन करते हैं कि वित्तीय विवरणी गलत विवरणों से मुक्त है। लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में रकम एवं प्रकटन का समर्थन करने वाले परीक्षण आधार साक्ष्यों की जांच शामिल है। इसमें समूची वित्तीय विवरणी प्रस्तुति का मूल्यांकन करते हुए शामिल किया जाता है।

इसके अलावा, वर्ष के दौरान क्षमता निर्माण एवं परामर्श सेवाओं के लिए विद्युत मंत्रालय से विनियामक फोरम द्वारा प्राप्त रु. 39.43 लाख की वित्तीय सहायता में से रु. 2.02 लाख की शेष अव्ययित राशि वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आगे ले जाई गई है और तदनुसार विद्युत मंत्रालय को वापस की गई है।

हमारी राय में और हमारी सूचना के अनुसार और हमारे द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार वित्तीय विवरणियों में भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखागत सिद्धांतों के अनुसार इस उचित एवं सही रूप में दिया गया हैः

क) 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार फोरम के कार्यों के तुलन पत्र के मामलें में और
ख) आय एवं व्यय लेखा के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष।

कृते एमबीआर एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 021360एन/सी400025

हस्ता–/
(मुकेश शर्मा)
साझेदार
सदस्यता सं. 511275

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 24 अगस्त, 2018

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(राशि – रु. में)

कोरपस/पूंजीगत निधि एवं देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
कोरपस/पूंजी निधि	1	37,010,643	37,010,643
रिजर्व एवं अधिशेष	2	39,600,634	37,541,322
निश्चित की गई/ बंदोबस्त निधियां	3	202,724	1,812,648
चालू देयताएं एवं प्रावधान	4	12,823,644	6,466,465
कुल		**89,637,645**	**82,831,078**
आस्तियां			
नियत आस्तियां	5	55,378	89,629
चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि	6	89,582,267	82,741,449
कुल		**89,637,645**	**82,831,078**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	12		
आकस्मिक देयताएं एवं खाते पर नोट	13		

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एमबीआर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 021360एन/सी400025

हस्ता/–	**हस्ता/–**	**हस्ता/–**
मुकेश शर्मा	**आंतरिक वित्तीय सलाहकार**	**सचिव**
(साझेदार)		
एम.सं. 511275		

स्थान : नई दिल्ली
तिथिः 24 अगस्त, 2018

31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता

(राशि – रु. में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
आय			
फीस/अंशदान	7	**18,000,000**	18,000,000
विद्युत मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	3	**4,256,879**	3,222,956
अर्जित ब्याज	8	**4,511,852**	5,386,137
अन्य आय	9	–	543,888
कुल (क)		**26,768,731**	**27,152,981**
व्यय			
स्थापना व्यय	**10**	–	**104,750**
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	11	**19,764,668**	18,343,560
उपयोग किए गए अनुदान (विद्युत मंत्रालय) :	3		
(क) क्षमता निर्माण		**1,632,646**	1,043,399
(ख) परामर्शदाता सेवाएं		**2,624,233**	2,179,557
मूल्यह्रास (अनुसूची 8 के अनुरूप वर्ष के अंत में निवल कुल)		**34,251**	77,012
पूर्व अवधि व्यय		**12,229**	–
कुल (ख)		**24,068,027**	**21,748,278**
आय के व्यय से आधिक्य होने पर शेष (क–ख)		**2,700,704**	**5,404,703**
कर के लिए प्रावधान		**641,391**	1,489,802
सामान्य रिजर्व को/से अंतरण		**2,059,313**	3,914,901
अधिशेष/(घाटा) का शेष कोरपस/पूंजी निधि में ले जाया गया		–	–
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	12		
आकस्मिक देयताएं एवं लेखाओं पर नोट	13		

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एमबीआर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 021360एन/सी400025

हस्ता/–
मुकेश शर्मा
(साझेदार)
एम.सं. 511275

हस्ता/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथिः 24 अगस्त, 2018

31 मार्च, 2018 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि – रु. में)

अनुसूची 1 – कोरपस/पूंजीगत निधि	चालू वर्ष		पूर्ववर्ती वर्ष	
वर्ष के आरंभ में शेष		37,010,643		37,010,643
जोडें: कोरपस/पूंजीगत निधि के लिए अंशदान	–		–	
जोड़/(घटा): आय एवं व्यय खाते से अंतरित निवल आय/(व्यय) का शेष	–	–	–	–
वर्ष के अंत में शेष		**37,010,643**		**37,010,643**

अनुसूची 2 –रिजर्व एवं अधिशेष:	चालू वर्ष		पूर्ववर्ती वर्ष	
1. रिजर्व पूंजी:				
अंतिम खाते के अनुसार	–		–	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	–		–	
घटा: वर्ष के दौरान कटौती	–	–	–	–
2. पूनर्मूल्यन रिजर्व:				
अंतिम खाते के अनुसार	–		–	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	–		–	
घटा: वर्ष के दौरान कटौती	–	–	–	–
3. विशेष रिजर्व				
अंतिम खाते के अनुसार	–		–	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	–		–	
घटा: वर्ष के दौरान कटौती	–	–	–	–
4. सामान्य रिजर्व				
अंतिम खाते के अनुसार	37,541,322		33,626,421	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	2,059,313		3,914,901	
घटा: वर्ष के दौरान कटौती	–	39,600,634	–	37,541,322
कुल		**39,600,634**		**37,541,322**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एमबीआर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 021360एन/सी400025

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
मुकेश शर्मा	**आंतरिक वित्तीय सलाहकार**	**सचिव**
(साझेदार)		
एम.सं. 511275		

स्थान : नई दिल्ली
तिथि: 24 अगस्त, 2018

31 मार्च, 2018 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि – रु. में)

अनुसूची 3 – निश्चित की गइ/बंदोबस्त निधियां	निधि–वार विवरण				जोड़	
	योजना निधि		एमएनआरई निधि		चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) निधियों का आरंभिक शेष		1,448,080		364,568	1,812,648	13,748,180
ख) निधियों में परिवर्धनः						
i. दान/अनुदान	3,943,000				3,943,000	
ii. निधियों से किए गए निवेशों से ब्याज	60,194	4,003,194			60,194	
iii. राज्य ऐजेंसियों से प्राप्त रिफंड			442,891	442,891	442,891	4,446,085	5,094,410
कुल (क+ख)		5,451,274		807,459	6,258,733	18,842,590
ग) निधियों के प्रयोजन से इनका उपयोग / व्यय						
i. पूंजीगत व्यय						
– नियत आस्तियां	–		–			
– **अन्य**	–	–	–	–	–	–
कुल (i)		–		–	–	–
ii. राजस्व व्यय						
– वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि।	–				–	
– किराया	–				–	
– अन्य प्रशासनिक खर्चे	4,256,879	4,256,879			4,256,879	4,256,879	4,219,814
iii. वापस की गई अव्ययित वित्तीय सहायता (ब्याज सहित)		**991,671**	**807,459**	**807,459**		**1,799,130**	**12,810,128**
कुल (ii + iii)		**5,248,550**		**807,459**		**6,056,009**	**17,029,942**
कुल (ग) = (i + ii + iii)		**5,248,550**		**807,459**		**6,056,009**	**17,029,942**
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख+ग)		**202,724**		–		**202,724**	**1,812,648**

नोट

1} अनुदानों से जुड़ी शर्तों के आधार पर संगत शीर्षों के अंतर्गत प्रकटीकरण किए जाएंगे।

2} केन्द्रीयराज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियों को पृथक निधियों के रूप में दर्शाया जाएगा और किन्हीं अन्य निधियों के साथ मिलाया नहीं जाएगा।

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एमबीआर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 021360एन/सी400025

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
मुकेश शर्मा	**आंतरिक वित्तीय सलाहकार**	**सचिव**
(साझेदार)		
एम.सं. 511275		

स्थान : नई दिल्ली
तिथिः 24 अगस्त, 2018

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि – रु. में)

अनुसूची 4 – चालू देयताएं और प्रावधान	चालू वर्ष		पूर्ववर्ती वर्ष	
क – चालू देयताएं				
1. स्वीकृतियां		–		–
2. विविध ऋणदाता :				
क) माल के लिए	–		–	
ख) अन्य	–	–	20,250	20,250
3. प्राप्त अग्रिम		–		–
4. उपचित परंतु देय नहीं ब्याज:				
क) जमानती ऋण/उधार	–		–	
ख) गैर–जमानती ऋण/उधार				
ख) गैर–जमानती ऋण/उधार	–	–	–	–
5. सांविधिक देयताएं :				
क) अतिदेय	–		–	
ख) अन्य	–	–	–	–
6. अन्य चालू देयताएं		–		–
कुल (क)		–		20,250
ख – प्रावधान				
1. कराधान के लिए				
(i) पूर्ववर्ती वर्ष	3,374,018		1,884,216	
(ii) चालू वर्ष	641,391	4,015,409	1,489,802	3,374,018
2. ग्रेचुअटी		–		–
3. सेवानिवृत्तिध्पेंशन		–		–
4. संचयित अवकाश नकदीकरण		–		–
5. व्यापार वारंटियां/दावे		–		–
6. अन्य:				
(i) प्रतिदेय सचिवालय व्यय	5,166,110		2,137,950	
(ii) प्रतिदेय विज्ञापन एवं प्रचार व्यय	1,316		3,654	
(iii) प्रतिदेय लेखापरीक्षा फीस	22,000		50,000	
(iv) प्रतिदेय कैंटीन व्यय	3,302		3,780	
(v) प्रतिदेय श्रम (आउटसोर्सिंग) व्यय	633,924		420,622	
(vi) प्रतिदेय व्यावसायिक प्रभार (एफओआर की निधि) व्यय	37,591		5,000	
(vii) प्रतिदेय व्यावसायिक फीस (स्टाफ परामर्शदाता) व्यय	240,230		338,113	
(viii) प्रतिदेय वेतन	–		49,846	
(ix) प्रतिदेय अध्ययन एवं परामर्श (एफओआर की निधि) व्यय	–		60,375	
(x) देय अध्ययन एवं परामर्श (योजना निधि)	1,034,161		–	
(xi) देय प्रशिक्षण व्यय (योजना निधि)	1,565,446		–	
(xii) संविदा पर प्रतिदेय टीडीएस	4,720		–	
(xiii) व्यावसायिक फीस पर प्रतिदेय टीडीएस	98,665		–	
(x) प्रतिदेय टेलिफोन व्यय	770	8,808,235	2,857	3,072,197
कुल (ख)		**12,823,644**		**6,446,215**
कुल (क)+(ख)		**12,823,644**		**6,466,465**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एमबीआर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 021360एन/सी400025

हस्ता/–	**हस्ता/–**	**हस्ता/–**
मुकेश शर्मा	**आंतरिक वित्तीय सलाहकार**	**सचिव**
(साझेदार)		
एम.सं. 511275		

स्थान : नई दिल्ली
तिथिः 24 अगस्त, 2018

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि – रु. में)

अनुसूची 5 – अचल आस्तियां

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास ब्लॉक					निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान अभिवृद्धियां	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के आरंभ में	वर्ष के आरंभ में आस्तियों पर वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान अभिवृद्धियों पर	वर्ष के दौरान कटौतियों पर	वर्ष के अंत तक कुल	चालू वर्ष के अंत में	पूर्ववर्ती वर्ष के अंत में
क. अचल आस्तियां											
1. भूमिः											
क) पूर्ण स्वामित्व	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) पट्टे पर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. भवनः											
क) पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि पर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) पट्टे वाली भूमि पर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ग) स्वामित्व वाले फ्लैट/परिसर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
घ) इकाई से संबंध न रखने वाली भूमि पर सुपरस्ट्रक्चर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. संयंत्र और मशीनरी और उपस्कर	**69,599**	–	**17,576**	**52,023**	**38,710**	**4,633**	–	**17,576**	**25,767**	**26,256**	**30,889**
4. वाहन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. फर्नीचर, फिक्सचर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. कार्यालय उपकरण	**29,890**	–	**4,050**	**25,840**	**17,388**	**1,875**	–	**4,050**	**15,213**	**10,627**	**12,502**
7. कंप्यूटर/सहायक उपकरण	**698,783**	–	**15,000**	**683,783**	**652,545**	**27,743**	–	**15,000**	**665,288**	**18,495**	**46,238**
8. विद्युत अधिष्ठापन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9. लाईब्रेरी की पुस्तकें	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. ट्यूबवेल एवं जल आपूर्ति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11. अन्य नियत आस्तियां	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
चालू वर्ष का कुल	**798,272**	–	**36,626**	**761,646**	**708,643**	**34,251**	–	**36,626**	**706,268**	**55,378**	**89,629**
पूर्ववर्ती वर्ष	**798,272**	–	–	**798,272**	**631,631**	**77,012**	–	–	**708,643**	**89,629**	
ख. पूंजीगत अर्धनिर्मित उत्पादन										–	–
कुल										**55,378**	**89,629**

उपर्युक्त सहित अवक्रय आधार पर आस्तियों की लागत के लिए नोट दिया जाए।

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एमबीआर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 021360एन/सी400025

हस्ता/–	**हस्ता/–**	**हस्ता/–**
मुकेश शर्मा	**आंतरिक वित्तीय सलाहकार**	**सचिव**
(साझेदार)		
एम.सं. 511275		

स्थान : नई दिल्ली
तिथिः 24 अगस्त, 2018

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि – रु. में)

अनुसूची –6– चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	चालू वर्ष		पूर्ववर्ती वर्ष	
क – चालू आस्तियां				
1. माल सूची :				
क) स्टोर और स्पेयर्स	–		–	
ख) खुले औजार	–		–	
ग) बिक्री के लिए माल				
तैयार माल	–		–	
अर्धनिर्मित उत्पादन	–		–	
कच्चा माल	–	–	–	–
2. विविध देनदार:				
क) 6 माह की अवधि से अधिक का बकाया कर्ज	18,200		18,200	
ख) अन्य	336,058	354,258	140,063	158,263
3. हाथ में नकदी शेष (चौक/ड्राफ्ट/अग्रदाय सहित)		24		9,060
4. बैंक शेष :				
क) अनुसूचित बैंकों के साथ :				
– चालू खातों पर	–		–	
– जमा खातों पर (मार्जिन राशि सहित)				
(i) नियत जमा	37,010,643		37,010,643	
(ii) ऑटो स्वीप/फ्लैक्सी जमा	43,404,839		40,781,750	
बचत खातों पर				
(i) कार्पोरेशन बैंक (एसबी खाता सं. 140004)	–		16,049	
(ii) कार्पोरेशन बैंक (एसबी खाता सं. 000068)	–		–	
(iii) बैंक ऑफ इंडिया (एसबी खाता सं. 2258–एमओपी)	–		1,448,080	
(iv) कार्पोरेशन बैंक (एसबी खाता सं. 1708 – विद्युत मंत्रालय)	2,869,530		–	
		83,285,012		79,256,522
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ :				
चालू खातों पर	–		–	
जमा खातों पर	–		–	
बचत खातों पर	–	–	–	–
5. डाकघर बचत खाते		–		–
कुल (क)		**83,639,294**		**79,423,845**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एमबीआर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 021360एन/सी400025

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
मुकेश शर्मा	**आंतरिक वित्तीय सलाहकार**	**सचिव**
(साझेदार)		
एम.सं. 511275		

स्थान : नई दिल्ली
तिथिः 24 अगस्त, 2018

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि – रु. में)

अनुसूची –6– चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि (जारी...)	चालू वर्ष		पूर्ववर्ती वर्ष	
ख – ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियां				
1. ऋण :				
क) स्टाफ	–		–	
ख) इकाई की तरह समान गतिविधियोंध्उद्देश्यों में लगी हुई अन्य इकाइयां	–		–	
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	–	–	–	–
2. नकद में या वस्तु के रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशियाँ :				
क) पूंजीगत लेखा पर	–		–	
ख) पूर्व भुगतान	–		–	
ग) अन्य				
(i) प्रतिभूति जमा (एमटीएनएल)	**3,000**		3,000	
(ii) स्रोत पर काटा गया कर (टीडीएस)	**3,333,805**		2,893,410	
(iii) आत्म मूल्यांकन कर	**963,614**		–	
(iv) प्राप्य सदस्यता शुल्क	**906,000**		–	
(v) जीएसटी (इनपुट)	**530,345**		–	
जोड़ें: अग्रिम कर	–		–	
घटा: संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	–		–	2,896,410
(अर्थात् पूर्ववर्ती वर्षों के लिए प्राप्ति योग्य टीडीएस)		**5,736,764**		
3. प्रोद्भूत आय:				
क) उद्दीष्ट/बंदोबस्त निधियों से निवेश पर	–		–	
ख) निवेशों पर – अन्य	**206,209**		421,194	
ग) ऋणों एवं अग्रिमों पर	–		–	
घ) अन्य (रु. ..... की अप्राप्त देय आय सम्मिलित है)	–		–	421,194
		206,209		
		–		
4. प्राप्तियोग्य दावे				
कुल (ख)		**5,942,973**		**3,317,604**
कुल (क+ख)		**89,582,267**		**82,741,449**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एमबीआर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 021360एन/सी400025

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
मुकेश शर्मा	**आंतरिक वित्तीय सलाहकार**	**सचिव**
(साझेदार)		
एम.सं. 511275		

स्थान : नई दिल्ली
तिथि: 24 अगस्त, 2018

31 मार्च, 2018 को अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि – रु. में)

अनुसूची –7– शुल्क/अभिदान	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1) प्रवेश शुल्क	–	–
2) वार्षिक शुल्क/अभिदान	18,000,000	18,000,000
3) संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क	–	–
4) परामर्शकारी शुल्क	–	–
5) अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल	**18,000,000**	**18,000,000**
नोट : प्रत्येक मद के लिए लेखांकन नीतियां दिखाई जाएं		

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एमबीआर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 021360एन/सी400025

हस्ता/–	**हस्ता/–**	**हस्ता/–**
मुकेश शर्मा	**आंतरिक वित्तीय सलाहकार**	**सचिव**
(साझेदार)		
एम.सं. 511275		

स्थान : नई दिल्ली
तिथिः 24 अगस्त, 2018

31 मार्च, 2018 को अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि – रु. में)

अनुसूची –8– अर्जित ब्याज	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1. सावधि जमा पर :		
क) अनुसूचित बैंकों में (टीडीएस – रु.4,40,395/–)	4,403,947	5,203,444
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों में	–	–
ग) संस्थानों में	–	–
घ) अन्य	–	–
2. बचत खातों पर:		
क) अनुसूचित बैंकों में	107,905	680
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों में	–	–
ग) डाकघर बचत खाते	–	–
घ) अन्य	–	–
3. ऋणों पर:		
क) कर्मचारी/स्टाफ	–	–
ख) अन्य	–	–
4. देनदारों और अन्य प्राप्य राशियों पर ब्याज	–	182,013
कुल	**4,511,852**	**5,386,137**
नोट – स्रोत पर काटा गया कर दर्शाया जाए।		

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एमबीआर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 021360एन/सी400025

हस्ता/–	**हस्ता/–**	**हस्ता/–**
मुकेश शर्मा	**आंतरिक वित्तीय सलाहकार**	**सचिव**
(साझेदार)		
एम.सं. 511275		

स्थान : नई दिल्ली
तिथिः 24 अगस्त, 2018

31 मार्च, 2018 को अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि – रु. में)

अनुसूची –9– अन्य आय	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1) परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ :		
क) स्वामित्व वाली संपत्तियां	–	–
ख) अनुदानों से प्राप्त की गई परिसंपत्तियां या निःशुल्क प्राप्त परिसंपत्तियां	–	–
2) वसूल किए गए निर्यात प्रोत्साहन	–	–
3) विविध सेवाओं के लिए शुल्क	–	–
4) विविध आय	–	5,826
5) देयताएं जिनकी आवश्यकता नहीं	–	538,062
कुल	–	**543,888**

अनुसूची –10– स्थापना व्यय	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) वेतन एवं मजदूरी	–	104,750
ख) भत्ते एवं बोनस	–	–
ग) भविष्य निधि में अंशदान	–	–
घ) अन्य निधि में अंशदान	–	–
ङ) कर्मचारी कल्याण व्यय	–	–
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सीमान्तक लाभ पर व्यय (ग्रेच्युटी)	–	–
छ) अन्य (निर्दिष्ट करें)	–	–
कुल	–	**104,750**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एमबीआर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 021360एन/सी400025

हस्ता/–	**हस्ता/–**	**हस्ता/–**
मुकेश शर्मा	**आंतरिक वित्तीय सलाहकार**	**सचिव**
(साझेदार)		
एम.सं. 511275		

स्थान : नई दिल्ली
तिथिः 24 अगस्त, 2018

31 मार्च, 2018 को अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि – रु. में)

अनुसूची –11– अन्य प्रशासनिक खर्चे	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) क्रय	–	–
ख) मजदूरी एवं प्रसंस्करण प्रभार	2,397,862	1,858,381
ग) ढुलाई एवं आवक ढुलाई	–	–
घ) विद्युत एवं शक्ति	–	–
ङ) जल प्रभार	–	–
च) बीमा	–	–
छ) मरम्मत एवं रखरखाव	–	–
ज) उत्पाद शुल्क	–	–
झ) किराया, दरें एवं कर	–	–
ञ) वाहन संचालन एवं रखरखाव	–	–
ट) डाक, टेलिफोन एवं संचार प्रभार	47,053	40,678
ठ) मुद्रण एवं लेखन सामग्री	54,460	145,796
ड) यात्रा एवं वाहन व्यय	16,420	30,345
ढ) सेमिनार/कार्यशालाओं पर व्यय	2,225,463	1,886,664
ण) अभिदान व्यय	–	–
त) फीस पर व्यय	–	–
थ) लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक	22,000	50,000
द) आतिथ्य व्यय	–	–
ध) व्यावसायिक प्रभार	3,511,679	4,586,847
न) अशोध्य संदिग्ध कर्ज/अग्रिमों के लिए प्रावधान	–	–
प) अपलिखित अशोध्य शेष	–	–
फ) पैकिंग प्रभार	–	–
ब) भाड़ा एवं अग्रेषण व्यय	–	–
भ) वितरण व्यय	–	–
म) विज्ञापन एवं प्रचार	279,975	271,428
य) क्षमता निर्माण व परामर्श	5,922,820	7,290,075
कक) सचिवीय व्यय	5,166,110	2,137,950
कख) अन्य (निर्दिष्ट करें)	–	–
i) बैंक प्रभार	–	444
ii) अन्य व्यय (अतिरिक्त प्रावधान अपलिखित का निवल)	23,890	44,952
iii) आत्म मूल्यांकन कर पर प्रदत्त ब्याज	96,936	0
कुल	**19,764,668**	**18,343,560**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एमबीआर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 021360एन/सी400025

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
मुकेश शर्मा	**आंतरिक वित्तीय सलाहकार**	**सचिव**
(साझेदार)		
एम.सं. 511275		

स्थान : नई दिल्ली
तिथिः 24 अगस्त, 2018

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि – रु. में)

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2017–18	पूर्ववर्ती वर्ष 2016–17	भुगतान	चालू वर्ष 2017–18	पूर्ववर्ती वर्ष 2016–17
1. आरंभिक शेषः			**1. निम्नलिखित को रिलीजः**		
(क) नकद शेष	**9,060.00**	2,500.00	भारत सरकार – एमएनआरई से अनुदान	807,459.00	11,437,065.00
			भारत सरकार – विद्युत मंत्रालय – योजना निधि (क्षमता निर्माण एवं परामर्श के लिए)	991,671.00	1,373,062.68
(ख) बैंक शेष					
(i) बचत खाताः					
कॉर्पोरेशन बैंक – बचत सह–ऑटो स्वीप खाता (सीएनपीएसबी)	**40,797,798.70**	30,733,171.56			
बैंक ऑफ इंडिया – बचत सह–ऑटो स्वीप खाता (योजना निधि)	**1,448,079.90**	2,315,248.53			
बैंक ऑफ इंडिया – बचत सह–ऑटो स्वीप खाता (एमएनआरई निधि)	–	11,284,418.20			
(ii) सावधि जमा (कोरपस निधि)	**37,010,642.73**	37,010,642.73			
2. निम्नलिखित से रिलीजः			**2. व्ययः**		
भारत सरकार – एमएनआरई से अनुदान	–	–			
भारत सरकार – विद्युत मंत्रालय – योजना निधि (क्षमता निर्माण एवं परामर्श के लिए)	**3,943,000.00**	4,657,000.00	(क) स्थापना व्ययः		
			(प) वेतन	–	54,904.00
			(ख) बैठक एवं संगोष्ठी व्यय	2,205,992.25	1,868,452.00
			(ग) व्यावसायिक शुल्क (स्टाफ परामर्शदाता)	3,201,858.00	3,541,634.00
			(घ) क्षमता निर्माण एवं परामर्शः		
			– फोरम की निधि	5,922,820.00	7,229,700.00
			– योजना निधि	1,589,282.00	4,203,368.00
			(ङ) प्रशासनिक व्ययः		
			– विज्ञापन एवं प्रचार व्यय	278,659.00	267,774.00
			– प्रशासनिक व्यय	–	–
			– लेखा परीक्षा शुल्क	–	–
			– बैंक प्रभार (फोरम की निधि)	91.45	443.75
			– बैंक प्रभार (योजना निधि)	790.73	428.95
			– बैंक प्रभार (एमएनआरई निधि)	–	10,191.20
			– कंप्यूटर मरम्मत एवं रखरखाव व्यय	–	–
			– श्रम (आउटसोर्सिंग) व्यय	2,143,393.00	1,717,885.00
			– विधिक एवं व्यावसायिक व्यय	5,167.00	–
			– मुद्रण एवं लेखन सामग्री व्यय	54,460.00	145,796.00
			– व्यावसायिक प्रभार (लोगो)	–	908,200.00
			– टैलीफोन व्यय	46,283.00	37,821.00
			– यात्रा व्यय	28,649.00	30,345.00

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2017–18	पूर्ववर्ती वर्ष 2016–17	भुगतान	चालू वर्ष 2017–18	पूर्ववर्ती वर्ष 2016–17
			– अन्य व्यय		
			– कैंटीन व्यय	39,123.00	39,451.00
			– ई–टीडीएस फाईल करने हेतु व्यय	179.00	308.00
			– ब्याज	–	–
			– कार्यालय व्यय/लेखा परीक्षा व्यय	1,132.00	1,190.00
3. आयोग की प्राप्तियां			**3. (i) स्टाफ को अग्रिम**		
			(क) अन्य अग्रिम (व्यय)		
(क) सदस्यता शुल्क (फोरम की निधि)	17,310,000.00	18,000,000.00			
(ख) आयकर प्रतिदान से ब्याज	–	131,762.85	**(ii) समायोजन/विप्रेषण/देयः**		
(ग) फ्लेक्सी जमा/सावधि जमा रसीद से ब्याजः			(क) आयकर (वेतन / गैर–वेतन)	–	–
– फोरम की निधि	2,054,338.02	2,437,889.89	(ख) प्रशासनिक व्यय	2,137,950.00	–
– योजना निधि	–	42,211.00	(ग) विज्ञापन एवं प्रचार व्यय	3,654.00	52,984.00
– एमएनआरई निधि	–	165,714.00	(घ) लेखा परीक्षा फीस	22,000.00	25,300.00
– कोरपस निधि	2,541,676.00	2,818,133.00	(ङ) कैंटीन व्यय	3,780.00	3,510.00
			(च) श्रम (आउटसोर्सिंग) व्यय	372,505.00	97,863.00
(घ) बचत खातों से ब्याजः			(छ) बैठक व्यय	–	–
– फोरम की निधि	107,905.00	680.00	(ज) कार्यालय व्यय	–	–
– योजना निधि	60,194.00	14,626.00	(झ) मुद्रण एवं लेखन सामग्री व्यय	–	104,000.00
– एमएनआरई निधि	–	–	(ञ) व्यवसायिक प्रभार	4,238.00	5,000.00
			(ट) व्यवसायिक प्रभार (स्टाफ परामर्शदाता)	338,113.00	368,000.00
			(ठ) वेतन	49,846.00	45,980.00
			(ड) टेलीफोन व्यय	2,857.00	5,541.00
			(ढ) प्रशिक्षण व्यय (फोरम की निधि)	–	–
			(ण) ऑटो स्वीप एफडीआर से ब्याज (योजना निधि)	–	1,200.00
			(च) आयकर (टीडीएस एवं आत्म मूल्यांकन कर) (घटा टीडीएस वसूली)	1,478,035.00	479,347.00
			(छ) जीएसटी (आउटपुट)	3,205,730.00	–
			(ज) जीएसटी (इनपुट)	559,983.00	–
			(झ) अध्ययन एवं परामर्श (एफओआर की निधि)	60,375.00	–
			(ण) अन्य प्राप्ति (केविविआ)	20,250.00	–
			(iii) अन्यः		
			(क) टीडीएस (आयकर प्रतिदान समायोजन के लिए)	–	–
			(ख) अग्रिम कर (आयकर प्रतिदान समायोजन के लिए)	–	–
			(ग) मुद्रण एवं लेखन सामग्री व्यय के लिए अग्रिम	–	–
			(घ) लेखापरीक्षा अग्रिम (प्राप्ति का निवल)	8,931.00	–
			(ङ) बैठक के लिए अग्रिम	271,500.00	–
			(च) व्यवसाय प्रभार (लोगो)	–	–

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2017–18	पूर्ववर्ती वर्ष 2016–17	भुगतान	चालू वर्ष 2017–18	पूर्ववर्ती वर्ष 2016–17
4. जमा प्राप्तियां:			**4. नियत आस्तियों पर व्यय:**		
प्रतिभूति जमा (मुद्रण एवं लेखन सामग्री)	–	–	(क) कंप्यूटर	–	–
			(ख) प्रिंटर	–	–
5. विप्रेषण प्राप्तियां			**5. अंतिम शेष:**		
आरईसी रूपरेखा का कार्यान्वयन – एमएनआरई निधि (राज्य एजेंसियों से अव्ययित वित्तीय सहायता का प्रतिदान)	442,891.00	364,568.00	(क) नकद शेष	23.75	9,060.00
			(ख) बैंक शेष		
			(i) बचत खाता:		
			कॉर्पोरेशन बैंक – बचत–सह–ऑटो स्वीप खाता	43,404,839.27	40,797,798.70
			कॉर्पोरेशन बैंक – बचत सह–ऑटो स्वीप खाता (योजना निधि)	2,869,530.17	–
			बैंक ऑफ इंडिया – बचत सह–ऑटो स्वीप खाता (योजना निधि)	–	1,448,079.90
			बैंक ऑफ इंडिया – बचत सह–ऑटो स्वीप खाता (एमएनआरई निधि)	–	–
			(ii) सावधि जमा (कॉरपस निधि)	37,010,642.73	37,010,642.73
6. अन्य प्राप्तियां					
– स्रोत पर काटा गया कर (लेखा वर्ष 16–17 के लिए आयकर प्रतिदान समायोजन)	–	2,635,347.15			
– मुद्रण एवं लेखन सामग्री व्यय के लिए अग्रिम	–	–			
– बैठक के लिए अग्रिम	252,029.00	–			
– अन्य प्राप्ति (केविविआ)	–	20,250.00			
– व्यावसायिक प्रभार (लोगो)	–	548,100.00			
– श्रम (आउटसोर्सिंग) (साफिर)	140,063.00	140,063.00			
– बैंक प्रभार (पूर्व वर्ष के लिए)	115.00	–			
– जीएसटी (आउटपुट)	3,024,000.00	–			
कुल	**109,141,792.35**	**113,322,325.91**	**कुल**	**109,141,792.35**	**113,322,325.91**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एमबीआर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 021360एन/सी400025

हस्ता/–
मुकेश शर्मा
(साझेदार)
एम.सं. 511275

हस्ता/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथिः 24 अगस्त, 2018

अनुसूची 12 एवं 13 : (31 मार्च, 2018 को तुलन पत्र का भाग)

विनियामक फोरम की पृष्ठभूमि

विनियामक फोरम विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 166(2) के अधीन उपबंध के अनुसरण में 16 फरवरी, 2005 को अधिसूचना के माध्यम से गठित किया गया। फोरम ने केविविआ के अध्यक्ष और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के अध्यक्ष शामिल हैं। केविविआ के अध्यक्ष फोरम के अध्यक्ष हैं।

फोरम निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात् :

- केन्द्रीय आयोग और राज्य आयोग के टैरिफ आदेशों और अन्य आदेशों का विश्लेषण और कंपनियों के कुशल सुधारों को विशेष रूप से रेखांकित करते हुए उक्त आदेशों उद्भूत आंकड़ों का संकलन;
- विद्युत क्षेत्र में विनियम को सुसंगत करना;
- अधिनियम के अधीन यथापेक्षित अनुज्ञप्तिधारियों के कार्यनिष्पादन के मानक निर्धारित करना।
- सामान्य हित और सामान्य दृष्टिकोण के विभिन्न विषयों पर फोरम के सदस्यों में सूचना शेयर करना।
- विद्युत क्षेत्र विनियम से संबंधित विषयों पर आउटसोर्स के माध्यम से या इनहाउस अनुसंधान कार्य करना।
- उपभोक्ताओं के हित के संरक्षण के लिए और विद्युत क्षेत्र में कुशलता किफायत प्रतिस्पर्धा को विकसित करना, और
- इस प्रकार के अन्य कार्य जैसा कि केन्द्रीय सरकार समय–समय से निर्दिष्ट करती है।

एमएनआरई की पृष्ठभूमि

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए विनियामक फोरम (एफओआर) को दिनांक 24.08.2010 को रु. 300.00 लाख (रुपए तीन सौ लाख मात्र) की राशि रिलीज़ की। रु. 223.40 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष में रु. 223.40 लाख) की राशि कार्यान्वयन ऐजेंसियों को रिलीज की गई। इसके अतिरिक्त, चूंकि वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान योजना बंद हो गई थी, अतः रु. 76.60 लाख की अव्ययित राशि उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान एमएनआरई को विधिवत रूप से वापस की गई थी। वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान रु. 8.07 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष में रु. 3.65 लाख) की राशि स्टेट ऐजेंसियों से वित्तीय सहायता की अव्ययित राशि के लिए प्राप्त हुई थी, वह भी चालू वर्ष में एमएनआरई को विधिवत रूप से वापस की गई है।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखों के नोट

1. लेखांकन की पद्धति

लेखा ऐतिहासिक लागत पारंपरिक उपचित आधार के अधीन तैयार किए जा रहे हैं और कंपनी अधिनियम धारा, 2013 की धारा 133 के अधीन भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अनिवार्य लेखांकन मानक के अनुरूप अनुपालन किया जा रहा है।

2. आय की मान्यता

प्रत्येक सदस्य से सदस्यता शुल्क वार्षिक आधार पर प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार की फीस और अन्य आय उपचित आधार पर लेखा बहियों में की जाती है।

3. नियता आस्तियां और मूल्यह्रास

नियत आस्तियों पर मूल्यह्रास आयकर अधिनियम 61 में निर्धारित दरों के अनुसार बट्टा खाते मूल्य पद्धति पर किया गया है।

नियत आस्तियों का भौतिक सत्यापन मार्च, 2017 के माह में किया गया। कुछ नियत आस्तियां जो कि अनुपयोगी स्थिति में पाई गई थीं, उन्हें लेखों से बट्टे खाते डाला जाएगा। इसके अतिरिक्त, कुछ अन्य नियत आस्तियों के लिए भी, जो कि अनुपयोगी स्थिति में हैं, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन का अनुरोध किया जा रहा है और तदनुसार, इन्हें भी वित्तीय वर्ष 2017–2018 के लिए लेखों से बट्टे खाते डाला जाएगा।

4. कराधान

प्रत्यक्ष करः–

विनियामक फोरम ने 13.12.2011 का आयकर अधिनियम 61 की धारा 10(46) के अधीन छूट के लिए आवेदन किया है और छूट प्रदान की आशा में वित्तीय वर्ष 2005–06 से वित्तीय वर्ष 2013–14 तक वित्तीय विवरणियों में कोई प्रावधान नहीं किया गया। कोई आयकर विवरण ी छूट प्रदान करने की आशा में वित्तीय वर्ष 2005–06 से 2010–11 के लिए दाखिल नहीं की गई है। सूचना/दस्तावेज 6.9.2012 और 19.2.2013 को अवर सचिव (आईटीए–1) सीबीडीटी नई दिल्ली और एडीआईटी (ई) नई दिल्ली द्वारा मंगवाए गए सूचना/दस्तावेज जिसे क्रमशः 5.10.2012 और 15.3.2013 को प्रस्तुत किए गए। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान रु. 1884216/– की राशि वित्तीय वर्ष 2005–06 से 2010–11 के लिए टीडीएस आय एवं व्यय खाते में वसूली की संदिग्धता के रूप में उपलब्ध किया गया।

एफओआर ने वित्तीय वर्षों 2011–12 से 2015–16 के लिए छूट प्रदान करने की प्रत्याशा में शून्य आय की संगणना करते हुए अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया है। मामला अभी भी आयकर प्राधिकारियों के पास लंबित है।

छूट के संबंध में मामला कर परामर्शदाता द्वारा सीबीडीटी के साथ किया गया। एफओआर सीबीडीटी के साथ मामले की अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विशेषज्ञ कर परामर्शदाता की सेवाओं पर किराए की प्रक्रिया में है।

आकस्मिक देयता की रकम जो आयकर छूट प्राप्त न करने की स्थिति में उत्पन्न हो सकती है जिसे सुनिश्चित नहीं किया गया और प्रदान नहीं किया गया।

अप्रत्यक्ष करः–

01 जुलाई, 2017 से सेवा कर अधिनियम को वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। चूंकि एफओआर को जीएसटी अधिनियम, 2017 के अधीन छूट प्राप्त नहीं है, अतः इसे जीएसटी अधिनियम के अधीन पंजीकृत किया गया है और यह जनवरी, 2018 से जीएसटी रिटर्न फाइल करने के संबंध में आवश्यक औपचारिकताओं का विधिवत रूप से पालन कर रहा है। सेवा कर की प्रयोज्यता के संबंध में, 01 जुलाई, 2017 से पूर्व, आकस्मिक देयता की राशि, जो कि शून्य छूट की स्थिति में उत्पन्न हो सकती है, को सुनिश्चित और प्रदान नहीं किया गया है।

5. तुलन पत्र तारीख के बाद हुए कार्य

कोई महत्वपूर्ण कार्य जो 31.3.2018 को उस सीमा तक वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सके लेखों के अनुमोदन तक तुलन पत्र तारीख के बाद फोरम द्वारा रिपोर्ट नहीं किया गया।

6. सेवानिवृत्ति लाभ

सभी कर्मचारी कांट्रेक्ट आधार पर हैं। उनके कांट्रेक्ट की शर्तों के आधार पर कोई सेवानिवृत्ति लाभ उन्हें प्रतिदेय नहीं है और इस प्रकार नहीं दिया गया।

7. ऑटो स्वीप/फ्लेक्सी डिपॉसिट में जमा और एफडीआर में निवेश

(i) ऑटो स्वीप/फ्लेक्सी डिपॉसिट में अल्पकालिक जमा और एफडीआर को लागत पर वर्णित किया गया है और नकदी एवं बैंक शेष में दर्शाया गया है।

8. आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत किया गया और जहां आवश्यक हो उनकी पुनः व्यवस्था की गई।

विनियामक फोरम (एफओआर)

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एमबीआर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 021360एन/सी400025

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
मुकेश शर्मा	**आंतरिक वित्तीय सलाहकार**	**सचिव**
(साझेदार)		
एम.सं. 511275		

स्थान : नई दिल्ली
तिथिः 24 अगस्त, 2018

अनुबंध–I

केविविआ के टैरिफ अनुसूची उत्पादन टैरिफ

क. थर्मल पावर स्टेशनों का नियत प्रभार और ऊर्जा प्रभार

औसत टैरिफ ब्रेकअप रिपोर्ट स्टेशन कोल						
क्र.सं.	उत्पादन कंपनी का नाम	स्टेशन	मार्च 2018 को संस्थापित क्षमता (एमडब्ल्यू)	मानकीय स्तर पर क्षमता प्रभार प्रति यूनिट (रुपये / किलोवाट घण्टा)	उर्जा प्रभार प्रति यूनिट (रुपये / किलोवाट घण्टा)	मानकीय स्तर पर कुल टैरिफ (रुपये / किलोवाट घण्टा)
पिट हेड स्टेशन						
1	एनटीपीसी	सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन	2000	0.627	1.377	2.004
2		फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन 1	1600	0.851	2.489	3.340
3		फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन –3	500	1.525	2.524	4.049
4		कहलगांव एस.टी.पी.एस. 1	840	1.029	2.396	3.425
5		कहलगांव एस.टी.पी.एस. – 2	1500	1.104	2.325	3.429
6		कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन 1	2100	0.660	1.261	1.921
7		कोरबा एसटीपीएस स्टेज –3	500	1.421	1.234	2.655
8		रिहंद सुपर थर्मल पावर स्टेशन 1	1000	0.831	1.290	2.121
9		रिहंद सुपर थर्मल पावर स्टेशन 2	1000	0.849	1.288	2.137
10		रिहंद सुपर थर्मल पावर स्टेशन 3	1000	1.467	1.302	2.769
11		रामगुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन 1	2100	0.703	2.389	3.092
12		रामगुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन 3	500	0.761	2.342	3.103
13		तालचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन 1	1000	0.934	1.554	2.488
14		तालचर एस.टी.पी.एस. 2	2000	0.686	1.565	2.251
15		तालचर थर्मल पावर स्टेशन 1	460	1.395	1.661	3.056
16		विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन 1	1260	0.827	1.558	2.385
17		विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन 2	1000	0.681	1.457	2.138
18		विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन 3	1000	1.055	1.461	2.516
19		विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन 4	1000	1.583	1.460	3.044
20		विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन 5	500	1.641	1.472	3.113
गैर पिट हेड स्टेशन						

औसत टैरिफ ब्रेकअप रिपोर्ट स्टेशन कोल						
क्र.सं.	उत्पादन कंपनी का नाम	स्टेशन	मार्च 2018 को संस्थापित क्षमता (एमडब्ल्यू)	मानकीय स्तर पर क्षमता प्रभार प्रति यूनिट (रुपये / किलोवाट घण्टा)	उर्जा प्रभार प्रति यूनिट (रुपये / किलोवाट घण्टा)	मानकीय स्तर पर कुल टैरिफ (रुपये / किलोवाट घण्टा)
1	एनटीपीसी	बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन	705	0.797	3.647	4.444
2		फिरोज गांधी थर्मल पावर स्टेशन 1	420	1.061	2.713	3.774
3		फिरोज गांधी थर्मल पावर स्टेशन 2	420	0.984	2.701	3.686
4		फिरोज गांधी ऊंचाहार टी.पी.एस. –3	210	1.364	2.693	4.057
5		फिरोज गांधी ऊंचाहार टी.पी.एस –4	500	1.498	2.751	4.663
6		मौदा सुपर थर्मल पावर स्टेशन 1	1000	1.912	2.493	4.435
7		मौदा सुपर थर्मल पावर स्टेशन 2	660	1.422	2.561	3.983
8		राष्ट्रीय राजधानी थर्मल पावर स्टेशन 1	840	0.927	3.125	4.052
9		राष्ट्रीय राजधानी थर्मल पावर स्टेज –2	980	1.466	2.929	4.395
10		सिम्हाद्री सुपर थर्मल पावर स्टेशन 1	1000	0.929	2.839	3.768
11		सिम्हाद्री सुपर थर्मल पावर स्टेशन 2	1000	1.552	2.835	4.387
12		सीपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन 1	1980	1.323	1.240	2.563
13		सीपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन 2	1000	1.257	1.271	2.528
14		टांडा थर्मल पावर स्टेशन 1	440	1.243	2.837	4.080
15		बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन –2	1320	1.865	2.237	4.102
16		बोंगईगांव टीपीएस	500	2.714	2.981	5.695
17		कुडगी एसटीपीएस	1600	1.521	3.678	5.199
18		सोलापुर एसटीपीएस I	660	2.156	3.303	5.459
19	मैथन	मैथन राइट बैंक थर्मल पावर प्लांट	1050	1.510	1.950	3.460
20	डीवीसी	बीटीपीएस बी	630	0.7559	2.207	2.9629
21		सी.टी.पी.एस.	260	1.0073	2.660	3.6673
22		डी.टी.पी.एस.	210	1.6055	2.198	3.8035
23		एम.टी.पी.एस. (1–4)	630	0.8109	2.486	3.2969
24		एम.टी.पी.एस. (5–6)	500	1.0492	2.486	3.5352
25		एम.टी.पी.एस. (7–8)	1000	1.3683	2.463	3.8313
26		सी.टी.पी.एस. (7–8)	500	1.5822	1.619	3.2012
27		डीएसटीपीएस	1000	0.8989	2.870	3.7689
28		केटीपीएस	1000	1.6982	1.909	3.6072
29		आरटीपीएस	1200	1.6517	2.495	4.1467
30		बीटीपीएस ए	500	2.0689	1.629	3.6979
31	कांति बिजली	मुजफ्फरपुर टी.पी.एस. स्टेज –I (2*110 (एमडब्ल्यू)	220	3.343	1.157	4.500
32		मुजफ्फरपुर टी.पी.एस. स्टेज –I (2*195 (एमडब्ल्यू)	195	2.349	2.616	4.965
33	एनएसपीसीएल	एनएसपीसीएल भिलाई विस्तार पावर प्लांट	500	1.732	1.986	3.718
34	एनटीईसीएल	एनटीईसीएल– वल्लूर	1500	1.900	1.66	3.56
35	एनएलसी	एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड (2x500 (एमडब्ल्यू) – एनएलसीआईएल एण्ड टीएएनजीईडीसीओ का एजेवी	1000	1.524	2.592	4.115

ख. औसत टैरिफ ब्रेकअप रिपोर्ट – स्टेशन लिग्नाइट और गैस

क्र.सं.	उत्पादन कंपनी का नाम	स्टेशन	मार्च 2018 को संस्थापित क्षमता (एमडब्ल्यू)	मानकीय स्तर पर क्षमता प्रभार प्रति यूनिट (रुपये / किलोवाट घण्टा)	ऊर्जा प्रभार प्रति यूनिट (रुपये / किलोवाट घण्टा)	मानकीय स्तर पर कुल टैरिफ (रुपये / किलोवाट घण्टा)
		लिग्नाइट आधारित स्टेशन				
1.	**एनएलसी**	एनएलसी टीपीएस I 600 (एमडब्ल्यू)	600	0.88	2.58	3.46
2.		एनएलसी टीपीएस II स्टेज I 630 (एमडब्ल्यू)	630	0.69	2.33	3.02
3.		एनएलसी टीपीएस II स्टेज II 840 (एमडब्ल्यू)	840	0.66	2.33	2.99
4.		एनएलसी टीपीएस I विस्तार 420 (एमडब्ल्यू)	420	1.019	2.760	3.779
5.		एनएलसी टीपीएस II विस्तार 500 (एमडब्ल्यू)	500	2.25	2.91	5.16
6.		एनएलसी बीटीपीएस 250 (एमडब्ल्यू)	250	2.03	1.21	3.25
		गैस आधारित स्टेशन				
1.	**ओटीपीसी**	ओटीपीसी त्रिपुरा पावर कंपनी, पलटन परियोजना	726.6	1.840	1.300	3.140
2.	**टोरंट**	एसयूजीएन	1147.5	1.209	3.854	5.063
3.		यूएनओ एसयूजीएन	382.5	प्लांट का कोई पीपी, नहीं है।		
4.		डीजीईन	1200		प्लांट का कोई पीपी, नहीं है।	
5.	**नीपको**	एजीबीपी	291	1-693 (Based on Rs. 31081.25 Lakhs)	1.526	3.231
6.		एजीटीसीसीपी	135		टैरिफ को अंतिम रूप दिया जाना है।	
7.		टीजीबीपी	101		टैरिफ को अंतिम रूप दिया जाना है।	
8.	**एनटीपीसी**	अन्ता गैस पावर स्टेशन	419	0.685	2.541	3.231
9.		औरैया गैस पावर स्टेशन	663	0.499	3.292	3.800
10.		दादरी गैस पावर स्टेशन	830	0.531	2.756	3.301
11.		फरीदाबाद गैस पावर स्टेशन	432	0.729	2.348	3.073
12.		झनोर गंधार गैस स्टेशन	657	0.931	2.009	2.768
13.		राजीव गांधी गैस पावर स्टेशन	360	1.121	1.121	7.312 (तरल ईंधन पर आधारित)
14.		कावास गैस पावर स्टेशन	656	0.809	2.045	2.672
15.		रत्नागिरी गैस एंड पावर प्रा लिमिटेड	1967.08	1.340	1.820	3.160
16.	**आरजीपीपीएल**	रत्नागिरी गैस एंड पावर प्रा लिमिटेड फेज III पीएसडीएफ	1050	1.340	3.33 (अप्रैल 16 एवं सिंबर 16)	4.700
17.		रत्नागिरी गैस एंड पावर प्रा लिमिटेड फेज IV पीएसडीएफ	1050	1.340	3.52 (अक्टूबर 16-मार्च 17)	4.700

ग. हाइड्रो उत्पादनकारी स्टेशनों का समन्वित टैरिफ

क्र. सं.	परियोजना का नाम	प्रकार	समन्वित टैरिफ (रुपये / किलोवाट घण्टा)
क	**एनएचपीसी**		
1	बैरासियूल	पॉन्डेज	1.92
2	चमेरा – I	पॉन्डेज	2.22
3	चमेरा – II	पॉन्डेज	1.98
4	चमेरा – III	पॉन्डेज	4.04
5	पार्बती – III	पॉन्डेज	4.73
6	सलाल	आरओआर	1.17
7	यूआरआई – I	आरओआर	1.62
8	यूआरआई – II	आरओआर	3.35
9	दुलहस्ती	पॉन्डेज	5.58
10	निमू बाजगो	पॉन्डेज	8.62
11	चटक	आरओआर	7.90
12	सेवा – II	पॉन्डेज	4.04
13	टनकपुर	आरओआर	3.14
14	धौलीगंगा	पॉन्डेज	3.02
15	तीस्ता – V	पॉन्डेज	2.33
16	तीस्ता एलडीपी	पॉन्डेज	6.72
17	रंगित एच.ई. परियोजना	पॉन्डेज	3.66
18	लोकतक	पॉन्डेज	3.84
ख	**एनएचडीसी**		
19	इंदिरा सागर पावर स्टेशन	भंडारण	3.10
20	ओंकारेश्वर पावर स्टेशन	पॉन्डेज	4.88
ग	**टीएचडीसी**		
21	टिहरी	भंडारण	5.46
22	कोटेश्वर	पॉन्डेज	3.81
घ	**एसजेवीएनएल**		
23	नपता झाकरी एच.पी.एस.*	पॉन्डेज	2.58
ङ	**नीपको**		
24	केएचईपी – I	पॉन्डेज	1.11
25	दोयंग	भंडारण	Xx
26	आरएचईपी	भंडारण	1.63
27	केएचईपी – II	पॉन्डेज के साथ आरओआर	1.54
28	खंदोंग पॉन्डेज	1.67	पॉन्डेज
29	करचम वांगतू	पॉन्डेज	3.23
30	तीस्ता ऊर्जा विकास	पॉन्डेज	4.76

घ. नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ

विवरण	स्तरीकृत कुल टैरिफ (वित्तीय वर्ष 2017–18)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)
लघु हाइड्रो पावर परियोजना			
एचपी, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व राज्य (5 एमडब्ल्यू से कम)	5.07	–	–
एचपी, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व राज्य (5 एमडब्ल्यू से 25 एमडब्ल्यू)	4.29	–	–
अन्य राज्य (5 एमडब्ल्यू से कम)	6.00	–	–
अन्य राज्य (5 एमडब्ल्यू से 25 एमडब्ल्यू)	5.04	–	–

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2017–18)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2017–18)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)
बायोमास पावर प्रोजेक्ट [राइस स्ट्रा एव जूलिफ्लोरा (प्लांटेशन) आधारित प्रोजेक्ट] तथा वाटर कूल्ड कंडेनसर और ट्रैवल ग्रेटबॉयलर के साथ					
आंध्र प्रदेश	2.68	4.37	7.06	0.13	6.93
हरियाणा	2.73	4.98	7.71	0.13	7.58
महाराष्ट्र	2.74	5.09	7.84	0.13	7.70
पंजाब	2.75	5.21	7.96	0.13	7.83
राजस्थान	2.68	4.35	7.03	0.13	6.89
तमिलनाडु	2.68	4.30	6.98	0.13	6.85
उत्तर प्रदेश	2.69	4.45	7.14	0.13	7.01
अन्य	2.71	4.68	7.39	0.13	7.26

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2017–18)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2017–18)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)
बायोमास पावर प्रोजेक्ट [राइस स्ट्रा एव जूलिफ्लोरा (प्लांटेशन) आधारित प्रोजेक्ट] तथा वाटर कूल्ड कंडेनसर और ट्रैवल ग्रेटबॉयलर के साथ					
आंध्र प्रदेश	2.83	4.47	7.31	0.15	7.16
हरियाणा	2.89	5.09	7.98	0.15	7.83
महाराष्ट्र	2.90	5.21	8.11	0.15	7.69
पंजाब	2.91	5.33	8.23	0.15	8.09
राजस्थान	2.83	4.45	7.28	0.15	7.13
तमिलनाडु	2.83	4.40	7.23	0.15	7.08
उत्तर प्रदेश	2.84	4.55	7.39	0.15	7.25
अन्य	2.86	4.79	7.65	0.15	7.50

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2017–18)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2017–18)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)
बायोमास पावर प्रोजेक्ट [राइस स्ट्रा एव जूलिफ्लोरा (प्लांटेशन) आधारित प्रोजेक्ट] तथा वाटर कूल्ड कंडेनसर और ट्रैवल ग्रेटबॉयलर के साथ					
आंध्र प्रदेश	2.79	4.37	7.71	0.14	7.02
हरियाणा	2.85	4.98	7.82	0.14	7.68
महाराष्ट्र	2.86	5.09	7.95	0.14	7.80
पंजाब	2.87	5.21	8.07	0.14	7.93
राजस्थान	2.79	4.35	7.14	0.14	6.99
तमिलनाडु	2.79	4.30	7.09	0.14	6.95
उत्तर प्रदेश	2.80	4.45	7.25	0.14	7.11
अन्य	2.82	4.68	7.50	0.14	7.35

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2017–18)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2017–18)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)
बायोमास पावर प्रोजेक्ट [राइस स्ट्रा एव जूलिफ्लोरा (प्लांटेशन) आधारित प्रोजेक्ट] तथा वाटर कूल्ड कंडेनसर और ट्रैवल ग्रेटबॉयलर के साथ					
आंध्र प्रदेश	2.95	4.47	7.43	0.16	7.27
हरियाणा	3.01	5.09	8.10	0.16	7.94
महाराष्ट्र	3.02	5.21	8.23	0.16	8.07
पंजाब	3.03	5.33	8.35	0.16	8.20
राजस्थान	2.95	4.45	7.40	0.16	7.24
तमिलनाडु	2.95	4.40	7.35	0.16	7.19
उत्तर प्रदेश	2.96	4.55	7.51	0.16	7.36
अन्य	2.98	4.79	7.77	0.16	7.61

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2017–18)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2017–18)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)
बायोमास पावर प्रोजेक्ट [राइस स्ट्रा एव जूलिफ्लोरा (प्लांटेशन) आधारित प्रोजेक्ट] तथा वाटर कूल्ड कंडेनसर और ट्रैवल ग्रेटबॉयलर के साथ					
आंध्र प्रदेश	2.68	4.30	6.67	0.13	6.84
हरियाणा	2.73	4.89	7.62	0.13	7.48
महाराष्ट्र	2.74	5.00	7.74	0.13	7.61
पंजाब	2.75	5.11	7.86	0.13	7.73
राजस्थान	2.67	4.27	6.94	0.13	6.81
तमिलनाडु	2.67	4.23	6.90	0.13	6.76
उत्तर प्रदेश	2.68	4.37	7.05	0.13	6.92
अन्य	2.70	4.59	7.30	0.13	7.16

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2017–18)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2017–18)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)
बायोमास पावर प्रोजेक्ट ख्राइस स्ट्रा एव जूलिफ्लोरा (प्लांटेशन) आधारित प्रोजेक्ट , तथा वाटर कूल्ड कंडेनसर और ट्रैवल ग्रेटबॉयलर के साथ					
आंध्र प्रदेश	2.83	4.39	7.22	0.15	7.08
हरियाणा	2.88	5.00	7.88	0.15	7.74
महाराष्ट्र	2.89	5.12	8.00	0.15	7.86
पंजाब	2.90	5.23	8.13	0.15	7.98
राजस्थान	2.82	4.37	7.19	0.15	7.05
तमिलनाडु	2.82	4.32	7.14	0.15	7.00
उत्तर प्रदेश	2.83	4.47	7.30	0.15	7.16
अन्य	2.85	4.70	7.55	0.15	7.41

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2017–18)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2017–18)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)
बायोमास पावर प्रोजेक्ट [राइस स्ट्रा एव जूलिफ्लोरा (प्लांटेशन) आधारित प्रोजेक्ट] तथा वाटर कूल्ड कंडेनसर और ट्रैवल ग्रेटबॉयलर के साथ					
आंध्र प्रदेश	2.79	4.30	7.08	0.14	6.94
हरियाणा	2.84	4.89	7.73	0.14	7.58
महाराष्ट्र	2.85	5.00	7.85	0.14	7.70
पंजाब	2.86	5.11	7.97	0.14	7.83
राजस्थान	2.79	4.27	7.05	0.14	6.91
तमिलनाडु	2.78	4.23	7.01	0.14	6.86
उत्तर प्रदेश	2.79	4.37	7.16	0.14	7.02
अन्य	2.81	4.59	7.41	0.14	7.26

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2017–18)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2017–18)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)
बायोमास पावर प्रोजेक्ट [राइस स्ट्रा एव जूलिफ्लोरा (प्लांटेशन) आधारित प्रोजेक्ट] तथा वाटर कूल्ड कंडेनसर और ट्रैवल ग्रेटबॉयलर के साथ					
आंध्र प्रदेश	2.95	4.39	7.34	0.16	7.18
हरियाणा	3.00	5.00	8.00	0.16	7.84
महाराष्ट्र	3.01	5.12	8.13	0.16	7.97
पंजाब	3.02	5.23	8.25	0.16	8.09
राजस्थान	2.95	4.37	7.31	0.16	7.15
तमिलनाडु	2.94	4.32	7.26	0.16	7.11
उत्तर प्रदेश	2.95	4.47	7.43	0.16	7.27
अन्य	2.97	4.70	7.67	0.16	7.52

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2017–18)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2017–18)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)
बायोगैस आधारित सह–उत्पादन परियोजना					
आंध्र प्रदेश	3.11	2.84	5.95	0.20	5.75
हरियाणा	2.78	4.03	6.82	0.17	6.65
महाराष्ट्र	2.49	3.98	6.47	0.15	6.32
पंजाब	2.74	3.55	6.29	0.17	6.12
तमिलनाडु	2.41	3.06	5.47	0.15	5.32
उत्तर प्रदेश	3.14	3.16	6.31	0.20	6.10
अन्य	2.73	3.44	6.17	0.17	6.00

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2017–18)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2017–18)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)
बायोमास गैसीफायर पावर परियोजना					
आंध्र प्रदेश	2.54	3.99	6.53	0.10	6.43
हरियाणा	2.58	4.54	7.13	0.10	7.03
महाराष्ट्र	2.59	4.65	7.24	0.10	7.14
पंजाब	2.60	4.75	7.35	0.10	7.25
राजस्थान	2.54	3.96	6.50	0.10	6.40
तमिलनाडु	2.53	3.93	6.46	0.10	6.36
उत्तर प्रदेश	2.54	4.06	6.60	0.10	6.50
अन्य	2.56	4.27	6.83	0.10	6.73
बायोगैस आधारित उत्पादन					
बायोगैस	3.37	4.19	7.56	0.23	7.33

राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के आदेश जारी करने की समयबद्धता

क्र. सं.	राज्य	डिस्कॉम	2017–18 के लिए टैरिफ आदेश लागू			टिप्पणियाँ
			शुल्क आदेश जारी करने की तिथि– विनियम के अनुसार	टैरिफ आदेश जारी करने की वास्तविक तिथि	आदेश की प्रयोज्यता	
1	अंडमान और निकोबार	विद्युत विभाग, अंडमान और निकोबार प्रशासन (ED A&N)	31/मार्च/2017	29/मार्च/2017	01/अप्रैल/2017	
2	आंध्र प्रदेश	दक्षिणी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड. (SPDCL)	31/मार्च/2017	31/मार्च/2017	01/अप्रैल/2017	
3	आंध्र प्रदेश	पूर्वी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (EPDCL)	31/मार्च/2017	31/मार्च/2017	01/अप्रैल/2017	
4	अरुणाचल प्रदेश	विद्युत विभाग, अरुणाचल प्रदेश (DOP, AP)	31/मार्च/2017	26/सितंबर/2017	01/अप्रैल/2017	
5	असम	असम पावर वितरण कंपनी लिमिटेड (APDCL)	31/मार्च/2017	31/ मार्च/2017	10/अप्रैल/2017	
6	बिहार	उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (NBPDCL)	31/मार्च/2017	24/मार्च/2017	01/अप्रैल/2017	
7	बिहार	दक्षिणी बिहार पावर वितरण कंपनी लिमिटेड (SBPDCL)	31/मार्च/2017	24/मार्च/2017	01/अप्रैल/2017	
8	चंडीगढ़	चंडीगढ़ विद्युत विभाग (CED)	31/मार्च/2017	04/मई/2017	01/अप्रैल/2017	
9	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि (CSPDCL)	31/मार्च/2017	04/मई/2017	01/अप्रैल/2017	
10	दिल्ली	बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड	31/मार्च/2017	31/अगस्त/2017	01/सितंबर/2017	
11	दिल्ली	बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड	31/मार्च/2017	31/अगस्त/2017	01/सितंबर/2017	
12	दिल्ली	टाटा पावर दिल्ली वितरण लि (TPDDL)	31/मार्च/2017	31/अगस्त/2017	01/सितंबर/2017	
13	दिल्ली	नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC)	31/मार्च/2017	31/अगस्त/2017	01/सितंबर/2017	
14	दादरा और नगर हवेली	दादरा और नगर हवेली विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (DNHPDCL)	31/मार्च/2017	09/जून/2017	01/अप्रैल/2017	
15	दमन और दीव	दमन और दीव विद्युत विभाग (ED DD)	31/मार्च/2017	29/मई/2017	01/अप्रैल/2017	
16	गोवा	गोवा विद्युत विभाग (EDG)	31/मार्च/2017	23/मई/2017	01/अप्रैल/2017	
17	गुजरात	दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (DGVCL)	31/मार्च/2017	31/मार्च/2017	01/अप्रैल/2017	
18	गुजरात	मध्य गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (MGVCL)	31/मार्च/2017	31/मार्च/2017	01/अप्रैल/2017	

क्र. सं.	राज्य	डिस्कॉम	2017–18 के लिए टैरिफ आदेश लागू			टिप्पणियाँ
			शुल्क आदेश जारी करने की तिथि– विनियम के अनुसार	टैरिफ आदेश जारी करने की वास्तविक तिथि	आदेश की प्रयोज्यता	
19	गुजरात	उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (UGVCL)	31/मार्च/2017	31/मार्च/2017	01/अप्रैल/2017	
20	गुजरात	पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (PGVCL)	31/मार्च/2017	31/मार्च/2017	01/अप्रैल/2017	
21	गुजरात	टोरेंट पावर लिमिटेड– वितरण सूरत	31/मार्च/2017	09/जून/ 2017	10/जून/2017	
22	गुजरात	टोरेंट पावर लिमिटेड– वितरण अहमदाबाद	31/मार्च/2017	09/जून/2017	10/जून/2017	
23	हरियाणा	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (UHBVNL)	31/मार्च/2017	11/जुलाई/2017	01/जुलाई/2017	
24	हरियाणा	दक्षिण हरियाणा बिजली निगम लिमिटेड (DHBVNL)	31/मार्च/2017	11/जुलाई/2017	01/जुलाई/2017	
25	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लि (HPSEBL)	31/मार्च/2017	17/अप्रैल/2017	01/अप्रैल/2017	
26	झारखंड	झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL)	31/मार्च/2017	27/अप्रैल/2018	01/मई/2018	
27	झारखंड	दामोदर घाटी निगम (DVC)	31/मार्च/2017	18/मई/2018	01/मई/2018	MYT वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ARR का अनुमान लगाया गया है और वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए 18 मई–2018 से टैरिफ का निर्धारण किया गया है
28	झारखंड	जमशेदपुर यूटिलिटी सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (JUSCO)	31/मार्च/2017	07/जून/2018	01/जून/2018	वित्त वर्ष 2017–18 के लिए ARR और टैरिफ 07–श्रनद–2018 को निर्धारित किया गया है
29	झारखंड	टाटा स्टील लिमिटेड (TSL)	31/मार्च/2017	18/मई/2018	01/मई/2018	वित्त वर्ष 2017–18 के लिए ARR और टैरिफ का निर्धारण 18–मई–2018 को किया गया है
30	झारखंड	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL)	31/मार्च/2017	07/जून/2018	01/जून/2018	वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2020–21 की एमवाईटी नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर और कारोबार योजना तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए वतरण एवं खुदरा आपूर्ति 7 जून, 2018 को निर्धारित की गई है।
31	कर्नाटक	बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (BESCOM)	31/मार्च/2017	11/अप्रैल/2017	01/अप्रैल/2017	
32	कर्नाटक	चामुंडेश्वरी विद्युत आपूर्ति निगम लिमिटेड (CESC)	31/मार्च/2017	11/अप्रैल/2017	01/अप्रैल/2017	

क्र. सं.	राज्य	डिस्कॉम	2017–18 के लिए टैरिफ आदेश लागू			टिप्पणियाँ
			शुल्क आदेश जारी करने की तिथि– विनियम के अनुसार	टैरिफ आदेश जारी करने की वास्तविक तिथि	आदेश की प्रयोज्यता	
33	कर्नाटक	गुलबर्गा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (GESCOM)	31/मार्च/2017	11/अप्रैल/2017	01/अप्रैल/2017	
34	कर्नाटक	हुबली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (HESCOM)	31/मार्च/2017	11/अप्रैल/2017	01/अप्रैल/2017	
35	कर्नाटक	मैंगलोर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड (MESCOM)	31/मार्च/2017	11/अप्रैल/2017	01/अप्रैल/2017	
36	केरल	केरल राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड (KSEBL)	31/मार्च/2017	17/अप्रैल/2017	18/अप्रैल/2017	आयोग द्वारा स्वप्रेरणा कार्यवाही आरंभ की गई।
37	लक्षद्वीप	लक्षद्वीप यू.टी. विद्युत विभाग (स्क)	31/मार्च/2017	05/अप्रैल/2017	01/अप्रैल/2017	
38	मध्य प्रदेश	सेंट्रल डिस्कॉम	31/मार्च/2017	31/मार्च/2017	10/अप्रैल/2017	
39	मध्य प्रदेश	पूर्व डिस्कॉम	31/मार्च/2017	31/मार्च/2017	10/अप्रैल/2017	
40	मध्य प्रदेश	पश्चिम डिस्कॉम	31/मार्च/2017	31/मार्च/2017	10/अप्रैल/2017	
41	महाराष्ट्र	टाटा पावर डिस्ट्रीब्यूशन (TPC&D)	31/मार्च/2017	21/अक्टूबर/2016	01/अक्टूबर/2016	आयोग ने एमवाईटी टैरिफ आदेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2019–20 की नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ को अनुमोदित किया।
42	महाराष्ट्र	आर इंफ्रा डी ध्अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड (AEML)	31/मार्च/2017	21/सितम्बर/2016	01/अक्टूबर/2016	
43	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL)	31/मार्च/2017	03/नवम्बर/2016	01/नवम्बर/2016	
44	महाराष्ट्र	बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST)	31/मार्च/2017	28/सितम्बर/2016	01/अक्टूबर/2016	
45	मणिपुर	मणिपुर राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSPDCL)	31/मार्च/2017	28/फरवरी/2017	01/अप्रैल/2017	
46	मेघालय	मेघालय विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (MePDCL)	31/मार्च/2017	31/मार्च/2017	01/अप्रैल/2017	
47	मिजोरम	ऊर्जा और विद्युत विभाग (P&ED), मिजोरम	31/मार्च/2017	28/फरवरी/2017	01/अप्रैल/2017	
48	नगालैंड	ऊर्जा विभाग, नगालैंड (DPN)	31/मार्च/2017	28/मार्च/2017	01/अप्रैल/2017	
49	ओडिशा	केंद्रीय विद्युत आपूर्ति यूटिलिटी (CESU)	31/मार्च/2017	23/मार्च/2017	01/अप्रैल/2017	
50	ओडिशा	ओडिशा लिमिटेड की उत्तर पूर्वी बिजली आपूर्ति कंपनी (NESCO)	31/मार्च/2017	23/मार्च/2017	01/अप्रैल/2017	
51	ओडिशा	साउथको	31/मार्च/2017	23/मार्च/2017	01/अप्रैल/2017	

क्र. सं.	राज्य	डिस्कॉम	2017–18 के लिए टैरिफ आदेश लागू			टिप्पणियाँ
			शुल्क आदेश जारी करने की तिथि– विनियम के अनुसार	टैरिफ आदेश जारी करने की वास्तविक तिथि	आदेश की प्रयोज्यता	
52	ओडिशा	उड़ीसा लिमिटेड की पश्चिमी विद्युत आपूर्ति कंपनी (WESCO)	31 / मार्च / 2017	23 / मार्च / 2017	01 / अप्रैल / 2017	
53	पुडुचेरी	पुदुचेरी विद्युत विभाग (PED)	31 / मार्च / 2017	16 / मई / 2017	01 / अप्रैल / 2017	
54	पंजाब	पंजाब राज्य पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL)	31 / मार्च / 2017	23 / अक्टूबर / 2017	01 / नवम्बर / 2017	
55	राजस्थान	अजमेर विद्युत निगम लिमिटेड (AVVNL)	31 / मार्च / 2017	02 / नवम्बर / 2017	02 / नवम्बर / 2017	आयोग ने वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए और वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए एवं आयोग के अगले टैरिफ आदेश के पारित होने तक 22.9. 2016 के आदेश के माध्यम से टैरिफ के निर्धारण को जारी रखने का निर्णय किया।
56	राजस्थान	जोधपुर विद्युत निगम लिमिटेड (JdVVNL)	31 / मार्च / 2017	02 / नवम्बर / 2017	02 / नवम्बर / 2017	
57	राजस्थान	जयपुर विद्युत निगम लिमिटेड (JVVNL)	31 / मार्च / 2017	02 / नवम्बर / 2017	02 / नवम्बर / 2017	
58	सिक्किम	ऊर्जा और विद्युत विभाग, सिक्किम (EPDS)	31 / मार्च / 2017	21 / मार्च / 2017	01 / अप्रैल / 2017	6 श्रनसल 2020
59	तमिलनाडु	तमिलनाडु उत्पादन एंड वितरण कॉर्पोरेशन लि (TANGEDCO)	31 / मार्च / 2017	11 / अगस्त / 2017	11 / अगस्त / 2017	
60	तेलंगाना	तेलंगाना लिमिटेड की उत्तरी विद्युत वितरण कंपनी (TSNPDCL)	31 / मार्च / 2017	26 / जून / 2017	01 / सितंबर / 2017	
61	तेलंगाना	तेलंगाना लिमिटेड की दक्षिणी विद्युत वितरण कंपनी (TSSPDCL)	31 / मार्च / 2017	26 / जून / 2017	01 / सितंबर / 2017	
62	त्रिपुरा	त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम लि (TSECL)	31 / मार्च / 2017	22 / नवंबर / 2014*	01 / अप्रैल / 2017	* त्रिपुरा राज्य में जारी अंतिम टैरिफ आदेश वित्त वर्ष 2014–15 के लिए 22 नवंबर 2014 को था। आयोग ने टैरिफ याचिका प्रस्तुत करने के लिए लाइसेंसधारक को स्मरण कराया, लेकिन लाइसेंसधारी ने कोई याचिका दायर नहीं की है। वित्त वर्ष 2014–15 से लाइसेंसधारी द्वारा कोई भी टैरिफ याचिका दायर नहीं की गई है और न ही आयोग द्वारा टैरिफ आदेश जारी किया गया था। इसलिए वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए टैरिफ आदेश वित्त वर्ष 2017–18 के लिए लागू है।
63	उत्तर प्रदेश	दक्षिणांचल विद्युत् वितरण निगम लि (DVVNL)	31 / मार्च / 2017	30 / नवम्बर / 2017	07 / दिसम्बर / 2017	
64	उत्तर प्रदेश	कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लि (KESCo)	31 / मार्च / 2017	30 / नवम्बर / 2017	07 / दिसम्बर / 2017	
65	उत्तर प्रदेश	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (MVVNL)	31 / मार्च / 2017	30 / नवम्बर / 2017	07 / दिसम्बर / 2017	

क्र. सं.	राज्य	डिस्कॉम	2017–18 के लिए टैरिफ आदेश लागू			टिप्पणियाँ
			शुल्क आदेश जारी करने की तिथि– विनियम के अनुसार	टैरिफ आदेश जारी करने की वास्तविक तिथि	आदेश की प्रयोज्यता	
66	उत्तर प्रदेश	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PVVNL)	31/मार्च/2017	30/नवम्बर/2017	07/दिसम्बर/2017	
67	उत्तर प्रदेश	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड क (PuVVNL)	31/मार्च/2017	30/नवम्बर/2017	07/दिसम्बर/2017	
68	उत्तर प्रदेश	नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड (NPCL)	31/मार्च/2017	30/नवम्बर/2017	07/दिसम्बर/2017	
69	उत्तराखंड	उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन (UPCL)	31/मार्च/2017	29/मार्च/2017	01/अप्रैल/2017	
70	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि (WBSEDCL)	31/मार्च/2017	04/जून/2018	01/अप्रैल/2017	
71	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन (CESC)	31/मार्च/2017	04/जून/2018	01/अप्रैल/2017	
72	पश्चिम बंगाल	दामोदर घाटी निगम (DVC)	31/मार्च/2017	04/जुलाई/2018*	01/अप्रैल/2017	01/अप्रैल/2017वर्ष 2017–18 के लिए पांचवीं नियंत्रण अवधि को कवर करते हुए संशोधित पराकलन का अंतिम आदेश 4.7.2018 को जारी किया गया। वित्तीय वर्ष 2017–18 के बाद कोई टैरिफ आदेश जारी नहीं किया गया।
73	पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर पावर लिमिटेड (DPL)	31/मार्च/2017	28/अक्टूबर/2016*	01/अप्रैल/2017	01/अप्रैल/2017वर्ष 2014 – 2015, 2015 – और 2016–17 के लिए पांचवीं नियंत्रण अवधि को कवर करते हुए संशोधित पराकलन का अंतिम आदेश 28–10–2016 को जारी किया गया। वित्तीय वर्ष 2016–17 के बाद कोई टैरिफ आदेश जारी नहीं किया गया।
74	पश्चिम बंगाल	इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IPCL)	31/मार्च/2017	17/फरवरी/2017*	01/अप्रैल/2017	*वर्ष 2014 – 2015, 2015 – 2016 और 2016–17 के लिए पराकलन का अंतिम आदेश 17–2–2017 को जारी किया गया। टैरिफ आदेश वित्तीय वर्ष 2016–17 के बाद जारी किया गया।

अनुबंध–III

सीजीआरएफ और ओमबड्समैन की कार्यप्रणाली

I– रिक्त पदों का सारांश

सीजीआरएफ में रिक्तियां

1. बिहार राज्य में सदस्य के पद के लिए सीजीआरएफ में पांच रिक्तियां।
2. तमिलनाडु राज्य में सदस्य के पद के लिए सीजीआरएफ में बारह रिक्तियां।
3. महाराष्ट्र राज्य में अध्यक्ष के पद के लिए आठ रिक्तियां और सदस्य (लाइसेंस) के पद के लिए एक रिक्ति।
4. हरियाणा राज्य में सीजीआरएफ (डीएचबीवीएन) में सदस्य के पद के लिए एक रिक्ति।
5. मेघालय राज्य में सीजीआरएफ में एक रिक्ति।
6. सीजीआरएफ को जम्मू और कश्मीर और नागालैंड राज्यों में स्थापित किया जाना बाकी है।

ओमबड्समैन में रिक्तियां

ओम्बड्समैन का पद अभी जम्मू और कश्मीर राज्य और नागालैंड में स्थापित किया जाना है।

II– सीजीआरएफ द्वारा शिकायत के निपटान की स्थिति

क्र.सं.	एसईआरसी / जेईआरसी का नाम	सीजीआरएफ का नाम	दिसंबर, 2018 को समाप्त पूर्व तिमाही के अंत में बकाया शिकायतों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या (जनवरी से मार्च, 2018)	तिमाही (जनवरी से मार्च, 2018) के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही के पास लंबित शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या जो 2 महीने से पुरानी हैं	तिमाही (जनवरी से मार्च, 2018) में सीजीआरएफ की बैठक की संख्या
1	असम	एपीडीसीएल APDCL, सिलचर	सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है।					
		एपीडीसीएल APDCL, डिब्रूगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		एपीडीसीएल APDCL, तेजपुर जोन	सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है।					
		एपीडीसीएल (एलएजेड) APDCL (LAZ), गुवाहाटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		एपीडीसीएल (एल,आर) APDCL (LAR), जोरहाट जोन	सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है।					
		कुल						
2	आंध्र प्रदेश	एपीएसपीडीसीएल APSPDCL / तिरुपति / आंध्र प्रदेश	247	61	140	168	134	29
		एपीईपीडीसीएल APEPDCL / विशाखापत्तनम	25	106	96	119	50	25
3	अरुणाचल प्रदेश	नाहरलागुन, पासीघाट, मियाओ दारांग, जीरो, ऐलो, तेजू	2	0	0	0	0	0
4	बिहार	पटना	27	16	34	53	42	15
		मुजफ्फरपुर	6	26	19	141	121	49
		पूर्णिया	21	6	27	2	25	0
		भागलपुर	90	24	20	94	114	0
		गया	5	6	5	5	6	0
		कुल	**149**	**78**	**105**	**295**	**308**	**64**
5	दिल्ली	बीआरपीएल BRPL	40	55	47	48	17	35
		बीवाईपीएल BYPL	8	9	13	4	1	10
		टीपीडीडीएल TPDDL	132	36	74	94	80	31
		एनडीएमसी NDMC	6	2	5	3	2	3
		कुल	**186**	**102**	**139**	**149**	**100**	**79**

क्र.सं.	एसईआरसी / जेईआरसी का नाम	सीजीआरएफ का नाम	दिसंबर, 2018 को समाप्त पूर्व तिमाही के अंत में बकाया शिकायतों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या (जनवरी से मार्च, 2018)	तिमाही (जनवरी से मार्च, 2018) के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही के पास लंबित शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या जो 2 महीने से पुरानी हैं	तिमाही (जनवरी से मार्च, 2018) में सीजीआरएफ की बैठक की संख्या
6	गुजरात	डीजीवीसीएल DGVCL						
		पीजीवीसीएल PGVCL, राजकोट	12	81	61	32	0	11
		पीजीवीसीएल PGVCL, भावनगर	67	69	62	74	24	13
		यूजीवीसीएल UGVCL	5	17	18	4	0	3
		एमजीवीसीएल MGVCL	1	9	9	0	0	3
		डीजीवीसीएल DGVCL	4	58	58	4	0	10
		टीपीएल TPL– अहमदाबाद	17	78	78	17	1	13
		टीपीएल TPL सूरत	4	7	9	2	0	13
		कुल	**110**	**319**	**295**	**133**	**25**	**66**
7	हरियाणा	यूएचबीवीएनएल UHBVNL	34	26	24	36	12	14
		डीएचबीवीएनएल DHBVNL	37	101	114	24	0	16
		कुल	**71**	**127**	**138**	**60**	**12**	**30**
8	हिमाचल प्रदेश		64	13	36	41	31	9
9	झारखंड	एसएआईएल बोकारो Sail Bokaro, झारखंड	1	0	1	1	1	6
		जेयूएससीओ JUSCO	0	0	0	0	0	7
		टाटा स्टील लि	5	8	1	12	4	16
		झारखंड उर्जा विकास निगम लि	0	0	0	0	0	0
		वीयूएसएनएफ VUSNF, चाईबासा	9	1	2	8	7	12
		वीयू,स,न,फ टैन्छथ, हजारीबाग	11	5	7	9	7	2
		वीयूएसएनएफ जेएसईबी VUSNF, JSEB, मेदिनीनगर	2	3	0	5	2	6
		दामोदर वैली कॉर्पोरेशन मैथन, झारखंड	0	0	0	0	0	0
		जेएसईबी JSEB, दुमका	2	0	1	1	1	लागू नहीं
		कुल	**30**	**17**	**12**	**36**	**22**	**49**

क्र.सं.	एसईआरसी / जेईआरसी का नाम	सीजीआरएफ का नाम	दिसंबर, 2018 को समाप्त पूर्व तिमाही के अंत में बकाया शिकायतों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या (जनवरी से मार्च, 2018)	तिमाही (जनवरी से मार्च, 2018) के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही के पास लंबित शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या जो 2 महीने से पुरानी हैं	तिमाही (जनवरी से मार्च, 2018) में सीजीआरएफ की बैठक की संख्या
10	करर्नाटक	बीईएससीओएम BESCOM	72	17	19	70	51	2
		एमईएससीओएम MESCOM	1	2	3	0	2	1
		एचईएसओएम HESCOM	15	8	9	14	7	14
		जीईएससीओएम GESCOM	8	3	2	9	6	2
		सीईएससी CESC	1	1	1	1	1	0
		कुल	**25**	**14**	**15**	**24**	**16**	**17**
11	केरल	सीजीआरएफ CGRF– उत्तर (केएसईबी KSEB)	61	62	65	58	11	17
		सीजीआरएफ CGRF– केंद्रीय (केएसईबी KSEB)	33	75	35	73	0	10
		सीजीआर,फ CGRF– दक्षिण (केएसईबी KSEB)	46	48	55	39	0	16
		केडीएचपीसीएल KDHPCL	0	0	0	0	0	0
		कुल	140	185	155	170	11	43
12	मध्य प्रदेश	ईसीजीआरएफ ECGRF भोपाल						
		ईसीजीआरएफ ECGRF इंदौर						
		ईसीजीआरएफ ECGRF जबलपुर			सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है।			
		कुल						

क्र.सं.	एसईआरसी / जेईआरसी का नाम	सीजीआरएफ का नाम	दिसंबर, 2018 को समाप्त पूर्व तिमाही के अंत में बकाया शिकायतों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या (जनवरी से मार्च, 2018)	तिमाही (जनवरी से मार्च, 2018) के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही के पास लंबित शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या जो 2 महीने से पुरानी हैं	तिमाही (जनवरी से मार्च, 2018) में सीजीआरएफ की बैठक की संख्या
13	महाराष्ट्र	भांडुप शहरी जोन	11	36	17	29	29	49
		कोल्हापुर जोन	9	18	14	13	1	6
		नासिक जोन	8	26	8	26	3	4
		कोंकण जोन	1	5	5	1	0	7
		लातूर जोन	0	8	4	4	2	3
		औरंगाबाद क्षेत्र	7	13	13	7	1	20
		अमरावती अंचल	2	16	3	14	2	7
		पुणे जोन	6	13	13	5	1	9
		नागपुर जोन	28	26	31	23	3	6
		गोंदिया जोन	0	4	1	3	0	2
		कल्याण जोन	10	52	41	21	0	30
		जलगांव जोन	0	1	0	1	0	0
		नांदेड़ जोन	0	1	0	1	0	0
		बारामती जोन	2	3	3	2	0	1
		चंद्रपुर जोन	0	1	1	0	0	1
		अकोला जोन	4	17	8	13	0	13
		बीईएसटी अंडरटेकिंग BEST Undertaking	8	5	8	4	0	11
		आर इंफ्रा डी	3	1	4	0	0	4
		टीपीसी – डी TPC-D	0	1	1	0	0	3
		एमआईएनडीएसपीएसीई Mindspace	0	0	0	0	0	0
		जीआईजीएपीएलईएक्स Gigaplex	0	0	0	0	0	0
		कुल	**99**	**247**	**175**	**167**	**42**	**176**

क्र.सं.	एसईआरसी / जेईआरसी का नाम	सीजीआरएफ का नाम	दिसंबर, 2018 को समाप्त पूर्व तिमाही के अंत में बकाया शिकायतों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या (जनवरी से मार्च, 2018)	तिमाही (जनवरी से मार्च, 2018) के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही के पास लंबित शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या जो 2 महीने से पुरानी हैं	तिमाही (जनवरी से मार्च, 2018) में सीजीआरएफ की बैठक की संख्या
14	मेघालय	मेघालय सीजीआरएफ, CGRF	1	1	0	2	1	1
15	ओडिशा	भुवनेश्वर	5	152	150	7	0	20
		खुर्दा	0	333	308	25	0	23
		कटक	0	460	460	0	0	30
		ढेंकनाल	0	201	198	3	2	8
		पारादीप	9	293	292	10	0	4
		राउरकेला	74	258	329	3	0	4
		बुर्ला	2	90	92	0	0	21
		बोलंगीर	58	130	135	53	0	37
		बालासोर	11	93	60	44	0	22
		जाजपुर रोड	3	35	38	0	0	11
		बेरहामपुर	2	102	103	1	0	35
		जयपोर	16	93	98	11	1	15
		कुल	180	2240	2263	157	3	230
16	पंजाब	पीएसपीसीएल, पटियाला PSPCL, Patiala	40	112	94	58	3	27
17	राजस्थान	अजमेर						
		जयपुर			सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है।			
		जोधपुर						
		कुल						
18	तमिलनाडु	तमिलनाडु	214	194	217	191	50	53

क्र.सं.	एसईआरसी / जेईआरसी का नाम	सीजीआरएफ का नाम	दिसंबर, 2018 को समाप्त पूर्व तिमाही के अंत में बकाया शिकायतों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या (जनवरी से मार्च, 2018)	तिमाही (जनवरी से मार्च, 2018) के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही के पास लंबित शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या जो 2 महीने से पुरानी हैं	तिमाही (जनवरी से मार्च, 2018) में सीजीआरएफ की बैठक की संख्या
19	उत्तर प्रदेश	आगरा						
		अलीगढ़						
		इलाहाबाद						
		आजमगढ़						
		बरेली						
		बस्ती						
		चित्रकूट						
		फैजाबाद			सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है।			
		गोंडा देवीपाटन						
		गोरखपुर						
		ग्रेटर नोएडा						
		झांसी						
		कानपुर						
		कानपुरए केई, ससीओ KESCO						
		लखनऊ						
		मेरठ						
		मिर्जापुर						
		मुरादाबाद						
		सहारनपुर						
		वाराणसी						
		कुल						
20	उत्तराखण्ड	उधम सिंह नगर	7	79	72	14	5	पूर्णकालिक
		हरिद्वार	12	47	40	19	6	पूर्णकालिक
		उधम सिंह नगर	7	79	72	14	5	पूर्णकालिक
		हरिद्वार	12	47	40	19	6	पूर्णकालिक

क्र.सं.	एसईआरसी / जेईआरसी का नाम	सीजीआरएफ का नाम	दिसंबर, 2018 को समाप्त पूर्व तिमाही के अंत में बकाया शिकायतों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या (जनवरी से मार्च, 2018)	तिमाही (जनवरी से मार्च, 2018) के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही के पास लंबित शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या जो 2 महीने से पुरानी हैं	तिमाही (जनवरी से मार्च, 2018) में सीजीआरएफ की बैठक की संख्या
21	उत्तराखंड	गढ़वाल जोन	20	69	63	26	6	पूर्वकालिक
		कुमाऊँ जोन	49	36	46	39	31	पूर्वकालिक
		कुल	88	231	221	98	48	
22	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल WBSEDCL	119	204	247	183	52	67
23	जेईआरसी मणिपुर और मिजोरम	सीईएससी लि. CESC LTD	3	120	118	5	0	अवधि के दौरान सभी कार्यदिवस
		आईपीसीएल IPCL	1	0	0	1	1	2
		डीवीसी DVC	0	0	0	0	0	0
		डीपीएल DPL	0	0	0	0	0	0
		पीएण्डई विभाग, सीजीआरएफ P&E Department, CGRF, मिजोरम	0	0	0	0	0	0
		मणिपुर राज्य बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसपीडीसीएल) सीजीआरएफ (MSPDCL), CGRF मणिपुर	0	0	0	0	0	0
24	जेईआरसी गोवा और यूटीएस	अंडमान और निकोबार द्वीप						
		गोवा						
		लक्षद्वीप						
		दमन			सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है।			
		दादरा नगर हवेली						
		चंडीगढ़						
		कुल						
25	सिक्किम	सिक्किम	0	0	0	0	0	0

क्र.सं.	एसईआरसी / जेईआरसी का नाम	सीजीआरएफ का नाम	दिसंबर, 2018 को समाप्त पूर्व तिमाही के अंत में बकाया शिकायतों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या (जनवरी से मार्च, 2018)	तिमाही (जनवरी से मार्च, 2018) के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही के पास लंबित शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या जो 2 महीने से पुरानी हैं	तिमाही (जनवरी से मार्च, 2018) में सीजीआरएफ की बैठक की संख्या
26	छत्तीसगढ़	रायपुर	19	12	26	5	1	18
		बिलासपुर	20	23	22	21	4	36
		जगदलपुर	4	1	5	0	0	4
		रायगढ़	0	0	0	0	0	0
		भिलाई	1	0	1	1	1	0
		कुल	44	36	54	27	6	58
27	जम्मू और कश्मीर		सीजीआरएफ CGRF अभी तक स्थापित नहीं हुआ है					
28	त्रिपुरा	टीएसईसीएल–सीजीआरफ–1, सीजीआरएफ–2, टीएसईसीएल–सीजीआरएफ–3 TSECL-CGRF-I, CGRF-II, TSECL-CGRF-III	0	0	0	0	0	0
	नगालैंड	सीजीआरएफ CGRF अभी तक स्थापित नहीं हुआ है						
	तेलंगाना	सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है।						

III ओमबड्समैन द्वारा शिकायत के निपटान की स्थिति

क्र.सं.	एसईआरसी / जेईआरसी का नाम	ओमबड्समैन की संख्या	दिसंबर, 2017 को समाप्त पूर्व तिमाही के अंत में बकाया शिकायतों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या (जनवरी से मार्च, 2018)	तिमाही (जनवरी से मार्च, 2018) के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही के पास लंबित शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या जो 2 महीने से पुरानी हैं	तिमाही (जनवरी से मार्च, 2018) में ओमबड्समैन की बैठक की संख्या
1	असम	1			सूचना प्रस्तुत नहीं की •ई है।			
2	आंध्र प्रदेश	1	12	5	11	6	5	11
3	अरुणाचल प्रदेश	1	0	0	0	0	0	0
4	बिहार	1	25	8	4	29	21	15
5	दिल्ली	1	2	11	5	8	0	6
6	गुजरात	1	17	21	31	7	0	31
7	हरियाणा	1	3	6	6	3	0	6
8	हिमाचल प्रदेश	1	लागू नहीं					
9	झारखंड	1	3	1	3	1	0	7
10	कर्नाटक	1			सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है।			
11	केरल	1	32	22	36	18	0	24
12	मध्य प्रदेश	1	सूचना प्रस्तुत नहीं की •ई है।					
13	महाराष्ट्र	2	37	61	49	49	14	68
14	मेघालय	1	0	0	0	0	0	0
15	ओडिशा	2	57	74	67	64	30	132
16	पंजाब	1	23	43	23	43	0	12
17	राजस्थान	1			सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है।			
18	तमिलनाडु	1	25	14	9	9	0	9
19	उत्तराखंड	1	13	9	15	7	3	पूर्वकालिक
20	उत्तर प्रदेश				सूचना प्रस्तुत नहीं की •ई है।			

क्र.सं.	एसईआरसी / जेईआरसी का नाम	ओमबड्समैन की संख्या	दिसंबर, 2017 को समाप्त पूर्व तिमाही के अंत में बकाया शिकायतों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या (जनवरी से मार्च, 2018)	तिमाही (जनवरी से मार्च, 2018) के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही के पास लंबित शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या जो 2 महीने से पुरानी हैं	तिमाही (जनवरी से मार्च, 2018) में ओमबड्समैन की बैठक की संख्या
21	पश्चिम बंगाल	2	82	49	40	92	61	29
22	जेईआरसी मणिपुर और मिजोरम	1	0	0	0	0	0	0
23	जेईआरसी गोवा और यूटीएस	1			सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है।			
24	छत्तीसगढ़	1	7	9	3	13	0	58
25	त्रिपुरा	1	0	0	0	0	0	0
26	सिक्किम	1	0	0	0	0	0	0
27	जम्मू और कश्मीर		ओमबड्समैन अभी तक स्थापित नहीं हुआ है					
28	नगालैंड		ओमबड्समैन अभी तक स्थापित नहीं हुआ है					
29	तेलंगाना		सूचना प्रस्तुत नहीं की •ई है।					

विनियामक फोरम (एफओआर)

सचिवालयः मार्फत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ)
तृतीय एवं चतुर्थ तल, चंद्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली – 110 001
दूरभाषः +91-11-23753920 फैक्सः +91-11-23752958